Con. 3. VII. 32. 49
250

अंक 7
संख्या 32

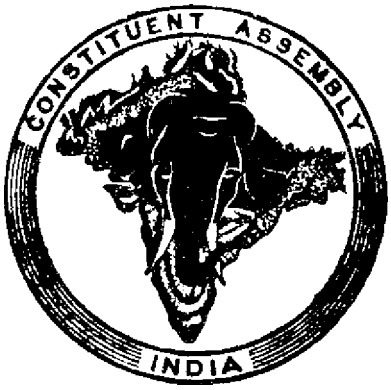

मंगलवार,
4 जनवरी
सन् 1949 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

विधान का मसौदा-(जारी)..... 2143-2210

[अनुच्छेद 67 पर विचार]

भारतीय विधान-परिषद्

मंगलवार, 4 जनवरी सन् 1949 ई.

भारतीय विधान परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 10 बजे उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. एच.सी. मुकर्जी) की अध्यक्षता में समवेत् हुई।

विधान का मसौदा-(जारी)

अनुच्छेद 67-(जारी)

***उपाध्यक्ष (डॉ. एच.सी. मुकर्जी):** सभा का कार्य आरम्भ करने से पूर्व मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि कल यह सूचना प्राप्त हुई थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य किस प्रकार दर्शकों की दीर्घाओं में और बरामदों में प्रवेश प्राप्त करके विघ्न उपस्थित करेंगे। सौभाग्य से इसकी रोकथाम कर दी गई है। क्या मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना कर सकता हूं कि वे दर्शकों के कार्डों को केवल उन लोगों के लिये मंगवायें, जिन्हें वे स्वयं जानते हों, ताकि हम निर्विघ्नता से अपना कार्य कर सकें?

अब हम अनुच्छेद 67 पर विचार-विमर्श आरम्भ करेंगे। सूची में प्रथम संशोधन, संशोधन संख्या 1411 है। क्योंकि यह केवल शाब्दिक संशोधन है, इसलिये इसे उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती।

अब हमारे सामने संशोधन संख्या 1412, 1413 प्रथम भाग, 1414 प्रथम भाग और 1415 प्रथम भाग हैं। ये एक समान हैं। संशोधन संख्या 1415, जो काजी सैयद करीमुद्दीन के नाम से है, उपस्थित किया जा सकता है।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

***काजी सैयद करीमुद्दीन** (मध्यप्रान्त और बरार : मुस्लिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह उपस्थित करता हूं कि:

"अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (क) में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायें:

'Subject to the provisions of articles 292 and 293 of this Constitution' (इस विधान के अनुच्छेद 292 और 293 के अधीन) और अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें: 'in accordance with the system of proportional representation with multi-member constituencies by means of cumulative vote' (बहु-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों के साथ सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार)"

श्रीमान्, मेरे विचार से एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचन-प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण है। जनतंत्र का एक प्रमुख दोष यह है कि बहुसंख्यक अपने संख्या-बल से निर्वाचनों में सफल हो जाते हैं। इस व्यवस्था को मिटाने से इस दोष का निराकरण हो सकता है। प्रतिनिधित्व की साधारण प्रणाली से यह दोष बना रहता है और इसके निराकरण का एकमात्र उपाय अनुपाती प्रतिनिधित्व है। यह प्रणाली भी मुख्यत: जनतंत्रात्मक है, क्योंकि इससे उन हजारों लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिनके मत का सरकार पर अन्यथा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि कोई मत व्यर्थ नहीं जाता और प्रत्येक मतदाता अपनी इच्छा और अपनी सम्मति का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने पसन्द के सदस्य को संसद् में भेजने में योग देता है, इसलिये सभी लोग एक प्रकार से समान स्तर पर आ जाते हैं। श्रीमान् वर्तमान निर्वाचन-प्रणाली का एक दूसरा दोष यह भी है कि इस प्रणाली से इसका भी आश्वासन नहीं मिलता कि बहुसंख्यकों का ही राज्य होगा। हमें इंग्लैंड और अमेरिका में इस प्रकार के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। सन् 1924 ई. में अनुदार दल का बहुमत वास्तव में बहुमत नहीं था, क्योंकि उसने कुल मतों के केवल 48 प्रतिशत मत प्राप्त किये थे; किन्तु वह देश का बहुसंख्यक दल समझा गया। इसी प्रकार सन् 1876 ई. और सन 1888 ई. में श्री हेज और श्री हैरीसन प्रेजीडेंट तो हो गये, किन्तु उन्होंने वास्तव में अपने विरोधियों से कम मत

प्राप्त किये थे। जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है, वास्तव में वर्तमान निर्वाचन-प्रणाली दोषपूर्ण है। इस प्रणाली के अधीन अल्पसंख्यकों का भी यथोचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है और वे पंगु हो जाते हैं। आयरलैंड के निर्वाचन में इसका एक उदाहरण मिलता है। इस प्रणाली के कट्टर समर्थक भी अल्पसंख्यकों को किसी न किसी प्रकार के प्रतिनिधित्व का अधिकार देना चाहते हैं। यह एक उल्लेखनीय बात है कि ग्लेडस्टन ने यह तर्क उपस्थित किया था कि इस प्रणाली से अल्पसंख्यकों को स्वत: प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है; किन्तु यह आयरलैंड में गलत प्रमाणित हुआ। जैसी कि सन् 1885 के वादानुवाद में भविष्यवाणी की गई थी, आयरलैंड के दक्षिणी और पश्चिमी प्रदेशों के अल्पसंख्यक इस तारीख से निर्वाचनाधिकार से स्थायी रूप से वंचित हो गये हैं। सन् 1850 ई. से सन् 1911 ई. तक की आठ संसदों में उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जिस रूप में वर्तमान प्रणाली प्रचलित है उससे, जैसा कि साधारणतया समझा जाता है, बहुसंख्यकों के शासन का भी आश्वासन नहीं मिलता और धर्म पर आधृत अल्पसंख्यकों की बात तो अलग रही, राजनीति पर आधृत अल्पसंख्यकों को भी किसी प्रकार के प्रतिनिधित्व का आश्वासन नहीं मिलता। आज हमारे सम्मुख एक ऐसी निर्वाचन प्रणाली है, जिसमें और तो किसी प्रकार का आश्वासन नहीं है परन्तु जगहें संरक्षित रख दी गई हैं और इसे 292 और 293 अनुच्छेदों में प्रावहित कर दिया गया है। अपने संशोधन द्वारा मैंने वह तर्क उपस्थित किया है कि यदि अनुपाती प्रतिनिधित्व का आश्वासन दे दिया जाये तो धर्म के आधार पर जगहें सुरक्षित रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे सभी लोगों ने स्वीकार किया है कि इस देश से साम्प्रदायिकता का पूर्णतया उन्मूलन कर दिया जाना चाहिये। हम उसके कुफलों को भोग चुके हैं और वास्तव में औपनिवेशिक संसद् इस कदम के लिये वचनबद्ध है। चूंकि इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है, इस देश में कोई भी साम्प्रदायिक दल रहने न दिया जायेगा। इसलिये भारत की राजनीति में पृथक्ता, साम्प्रदायिकता और एकाकीपन का कोई स्थान न होना चाहिये। परन्तु साथ ही हम देश की वर्तमान परिस्थिति की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। हम यह देखते हैं कि हिन्दू राज्य की स्थापना के लिये एक आन्दोलन चल रहा है। हम यह भी देखते हैं कि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम

[काजी सैयद करीमुद्दीन]

का एक संगठन भी है। इन बातों को दृष्टि में रखते हुये हमें बड़ी सावधानी से और धीरे-धीरे आगे कदम उठाना है। इसलिये हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालना है, जिससे साम्प्रदायिकता का निराकरण हो जाये और विधान-मण्डलों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो सके।

हमारे सम्मुख दो उपाय हैं। एक तो जगहें सुरक्षित रखने का उपाय है, जिसकी व्यवस्था विधान में, अर्थात् अनुच्छेद 292 के अधीन, की गई है। दूसरा उपाय अनुपाती प्रतिनिधित्व का है। जगहें सुरक्षित रखने के प्रावधान में बहुत बड़े दोष हैं, क्योंकि वह धर्म पर आधृत है। उससे उन उद्देश्यों का ही निराकरण हो जाता है, जिनकी पूर्ति के लिये उसे स्वीकार किया गया था, क्योंकि जिस सम्प्रदाय के लिये जगहें सुरक्षित रखी गई हैं वह अपनी पसन्द के प्रतिनिधियों को निर्वाचित नहीं कर सकता। जैसा कि मैं सामान्य वादानुवाद के समय कह चुका हूं, एक बनावटी प्रतिनिधि भी चुनाव में एक सच्चे प्रतिनिधि को हरा देगा और वास्तव में अल्पसंख्यक ऐसे वकीलों को खड़ा करने के लिये बाध्य होंगे, जो अपने मुवक्किलों के खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे। यह कहना गलत है कि यह व्यवस्था सम्प्रदायों पर आधृत हैं, क्योंकि वास्तव में बहुसंख्यक ही, न कि अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेंगे।

मेरे विचार से सबसे अच्छी प्रणाली अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। वह धर्म पर आधृत नहीं है और उससे सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे राजनैतिक हों अथवा धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक लाभ हो जाता है। इस प्रणाली के सम्बन्ध में तीन आपत्तियां की जाती हैं और सामान्यत: इन्हीं को सामने रखते हुये तर्क उपस्थित किया जाता है और वादानुवाद किया जाता है। पहली आपत्ति यह है कि बहुत बड़े निर्वाचन-क्षेत्र हो जायेंगे और मतदाताओं का प्रबन्ध करना एक कठिन कार्य हो जायेगा। दूसरी आपत्ति यह है कि शासन अस्थिर हो जायेगा और तीसरी यह है कि बहुदल शासनों की स्थापना हो जायेगी। पहली आपत्ति के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि वह निराधार है। बड़े निर्वाचन-क्षेत्रों में यदि दलों की प्रणाली प्रयोग में रही, तो उम्मीदवारों का निर्वाचकों के सम्पर्क में आने का.... दलों की प्रणाली से ही कार्य सम्पन्न हो जायेगा। यह कल्पना करना ठीक नहीं।

कि शासन अस्थिर हो जायेगा। चूंकि बहुसंख्यक दल का ही सभा में बहुमत रहेगा और वही शासनारूढ़ होगा, इसलिये जहां तक बहुदल शासन का सम्बन्ध है, मेरे विचार से, जिन प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, यह बहुत ही आवश्यक है कि बहुदल-शासन स्थापित हो। यह कोई बुरी बात न होगी कि विभिन्न प्रमुख समुदायों से मंत्रिमंडल की स्थापना से परामर्श लिया जाये। इस समय देश अन्तरकालीन स्थिति में है और साम्प्रदायिकता उसके द्वार पर खड़ी है। यह बहुत ही आवश्यक है कि विरोधी दल को, चाहे उसका स्वरूप साम्प्रदायिक हो अथवा राजनीतिक, यथोचित स्थान दिया जाये। हम देश के शासन को मध्य-वर्ग के हाथ से लेकर उस वर्ग को सौंपने ही जा रहे हैं जिसे मैं श्रमजीवी-वर्ग कहता हूं। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसका अनुभव देश में बहुत कम लोग करते हैं। कांग्रेस के लोगों का यह मत है कि वे निर्वाचन में अवश्य ही सफल होंगे और इसलिये वे विधान के ऐसे मसौदे का समर्थन करते है, जिससे बहुसंख्यक दल का शासन स्थापित होता है और जिसमें देश के साम्प्रदायिक अथवा राजनीतिक अल्पसंख्यक-वर्गों के लाभ के लिये कोई प्रभावपूर्ण प्रावधान नहीं रखे गये हैं। वे गलत रास्ते पर हैं और आगे चलकर गलत रास्ते पर पाये जायेंगे। संसार का कोई भी संगठन श्रमिकों और पूंजीपतियों, किसानों और जमींदारों के परस्पर विरोधी अधिकारों का समीकरण नहीं कर पाया और उन्हें एक ही झंडे के नीचे रखना असम्भव है। अपने चारों ओर तो देखिये, साम्यवाद बड़ी तीव्र गति से फैल रहा है। यदि एक बार भी श्रमिकों ने उसे अपना लिया तो वे बहुत ही सबल हो जायेंगे। यदि श्रमिक आगे चलकर समाजवादी अथवा साम्यवादी सिद्धान्तों को अपना लेते हैं, तो विधान में राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये कोई प्रावधान न होने के कारण और उनके बहुसंख्यक होने के कारण वे अवश्य ही शासन-सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे। इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने का एकमात्र उपाय अनुपाती प्रतिनिधित्व का ही उपाय है। इसके अतिरिक्त बिना जनतंत्रात्मक सिद्धान्तों का हनन किये हुये उससे साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों की रक्षा हो सकती है। बिना साम्प्रदायिकता की भावना से प्रेरित हुये ही राजनैतिक और साम्प्रदायिक अल्पसंख्यक-वर्गों के प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकते हैं। यदि इस प्रकार का प्रावधान न रखा गया तो देश साम्यवाद के गर्त में पड़ जायेगा।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, क्या मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना कर सकता हूं कि वे धीरे-धीरे पढ़ें।

***काजी सैयद करीमुद्दीन:** मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं केवल अपनी कुछ टिप्पणियों की ओर देख रहा हूं। आप यहां आकर देख सकते हैं।

***उपाध्यक्ष:** मि. करीमुद्दीन मेरा यह सुझाव है कि आप धीरे-धीरे बोलें।

***काजी सैयद करीमुद्दीन:** श्रीमान्, यदि वर्तमान निर्वाचन-प्रणाली के अधीन सामान्य निर्वाचन में साम्यवाद के पक्ष में निर्णय हुआ, तो विकास की सभी योजनायें समाप्त हो जायेंगी और यदि साम्प्रदायिकता के पक्ष में निर्णय हुआ तो राज्य का ऐहिक स्वरूप समाप्त हो जायेगा। यदि अल्पसंख्यक-वर्गों को, चाहे वे राजनैतिक हों अथवा साम्प्रदायिक, कुचला गया और उन्हें संसदात्मक कार्यों से अलग रखा गया, तो साम्यवादी उनको अपना निशाना बनायेंगे और उनका निशाना ठीक बैठेगा। इसलिये यह बुद्धिमत्ता की ही बात है कि विरोधी दल को वैधानिक मार्ग का अवलम्बन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये और इसका एकमात्र उपाय अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को प्रयोग में लाना है। मैं यह भविष्यवाणी करता हूं कि यदि ऐसा न किया गया, तो देश में अराजकता फैल जायेगी। इसका यह अर्थ नहीं हैं कि मैं वर्तमान शासन को जारी रखने के विरोध में हूं। मैं यह चाहता हूं कि कांग्रेस बहुत काल तक जीवित रहे, क्योंकि उसने भारत में सभी सम्प्रदायों को शान्ति और अक्षोभ प्रदान किया है और एक असाम्प्रदायिक राज्य की स्थापना की है, परन्तु जब तक अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रयोग में नहीं लाई जाती, इसका आश्वासन नहीं मिल सकता।

श्रीमान्, मेरे संशोधन के प्रथम भाग में कहा गया है कि जगहों को सुरक्षित रखने की अन्तरकालीन व्यवस्था को तभी समाप्त किया जाये, जब कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली स्वीकार की जाये, अन्यथा नहीं। श्रीमान्, जब मैं जगहों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था को समाप्त करने और अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को स्वीकार करने के सम्बन्ध में बोल रहा था, तो यह मिथ्या धारणा बन गई थी कि मैं जगहों को सुरक्षित रखने की प्रणाली को बिना किसी शर्त के

समाप्त कराने के पक्ष में बोल रहा हूं। मैं यह कह चुका हूं, और आज भी यह कहता हूं, कि यदि अनुपाती प्रतिनिधित्व को प्रणाली को प्रयोग में लाया गया तो जगहों को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान न होना चाहिये। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं कि अल्पसंख्यक-वर्गों का अस्तित्व है और उन्हें किसी न किसी प्रकार की मान्यता प्रदान करनी चाहिये, तो मेरा यह निवेदन है कि इस सभा को कृपा करके अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को प्रयोग में लाना चाहिये।

***उपाध्यक्षः** अब हम संशोधन संख्या 1412 पर आते हैं, जो मि. मोहम्मद ताहिर के नाम से है। मि. ताहिर, क्या आप चाहते हैं कि इस पर मत लिया जाये?

***श्री मोहम्मद ताहिर** (बिहार : मुस्लिम): जी नहीं। मैं उसे उपस्थित नहीं करना चाहता।

***उपाध्यक्षः** अच्छी बात है, इस दशा में उस संशोधन पर जो संशोधन हैं, अर्थात् पंडित ठाकुरदास भार्गव के नाम से जो संशोधन संख्या 19 और 20 हैं, वे गिर जाते है। परन्तु श्री भार्गव, क्या आप उन्हें उपस्थित करना चाहते हैं? मै देखता हूं कि उनका सम्बन्ध केवल संशोधन संख्या 1412 ही से नहीं, बल्कि अन्य संशोधनों से भी है।

***पंडित ठाकुरदास भार्गव** (पूर्वी पंजाब : जनरल): श्रीमान्, मैं इन संशोधनों को तो उपस्थित नहीं करना चाहता हूं, किन्तु आपकी अनुमति से मैं इनके सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

***उपाध्यक्षः** आप उसे सामान्य वादानुवाद के समय दे सकते हैं। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। इसलिए मैं उन सबको काटे दे रहा हूं। अब हम संशोधन संख्या 1413 पर आते हैं, जो पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्र के नाम से है।

***पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): श्रीमान्, मैं उसे उपस्थित नहीं कर रहा हूं।

(संशोधन संख्या 1414, प्रथम भाग, उपस्थित नहीं किया गया।)

***उपाध्यक्षः** अब हम संशोधन संख्या 1414 के द्वितीय भाग, संशोधन संख्या 1415 के द्वितीय भाग और संशोधन संख्या 1421 को उठाते हैं। इनका आशय एक समान है और इसलिए इन पर एक साथ विचार किया जा सकता है। संशोधन संख्या 1415 उपस्थित किया जा सकता है। वह काजी सैयद करीमुद्दीन

[उपाध्यक्ष]

के नाम से है। मैं संशोधन संख्या 1415 के द्वितीय भाग की ओर संकेत कर रहा हूं।

***काजी सैयद करीमुद्दीनः** श्रीमान्, मैं संशोधन संख्या 1415 के दोनों भागों को उपस्थित कर चुका हूं।

***उपाध्यक्षः** अच्छी बात है। मुझे खेद है कि मैं समझ नहीं पाया। संशोधन संख्या 1414 मिस्टर लारी की अनुपस्थिति के कारण गिर जाता है। अब हम संशोधन संख्या 1416 और संशोधन संख्या 1417 पर आते हैं। संशोधन संख्या 1416 प्रोफेसर के.टी. शाह के नाम से है।

***प्रोफेसर के.टी. शाहः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह उपस्थित करना चाहता हूं कि:

"अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (क) में:

'five hundred representatives of the people of the territories of the States directly chosen by the voters' (अव्यवहित रीति से मतदाताओं और द्वारा निर्वाचित, राज्यों के प्रादेशिक लोक-प्रतिनिधि, लोक-सभा में पांच सौ से अधिक न होंगे) शब्दों के स्थान में 'such members as shall, in the aggregate, secure one representative for every 500,000 of the population in all the constituent parts of the Union, whether States or territories directly administered by the Centre. All members of the People's House shall be chosen directly by the votes of adult citizens. The votes shall be cast in a secret ballot and voting shall be on the basis of Proportional Representation with single Transferable Vote.' (लोक-सभा में ऐसे सदस्य होंगे, जो सभी संघांगों में, चाहे वे राज्य हों अथवा केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र, कुल मिलाकर जनसंख्या के 500,000 लोगों के लिये एक प्रतिनिधि प्राप्त करेंगे। लोक-सभा के सभी सदस्य प्रौढ़ नागरिकों द्वारा अव्यवहित रूप से चुने जायेंगे। मतदान गूढ़-शलाका द्वारा होगा तथा एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर होगा।) शब्द रखे जायें।"

श्रीमान्, तीन परिवर्तनों के उद्देश्य से मैंने इस संशोधन को उपस्थित किया है।

पहला यह है कि विधान में लोक-सभा के लिए प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक संख्या निश्चित नहीं की जा सकेगी। मेरे विचार से यह व्यवस्था लोक-प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है। क्योंकि किसी भी ऐसे देश के शासन में, जो अपने को जनतंत्रात्मक कहता है, लोकमत अंतिम मत होना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार विधान में लोक सभा के लिए प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक संख्या स्थायी रूप से निश्चित न होनी चाहिए।

पिछली तीन या चार जनगणनाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक दशाब्दी के उपरान्त इस देश की जनसंख्या बराबर बढ़ी है। पिछली जनगणना से यह पता चलता है कि पिछले दस वर्षों में वह पन्द्रह प्रतिशत बढ़ गई। यदि इस समय आप अधिक से अधिक संख्या को निश्चित कर देंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि आप अनुचित रूप से उन लोगों की संख्या बदल देंगे, जिनका कि प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रतिनिधि करता है। इसका यह अर्थ होगा कि प्रत्येक प्रतिनिधि की प्रतिनिधित्व की शक्ति कम होती जायेगी। क्योंकि वह जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, उनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जायेगी।

श्रीमान्, यदि मेरी यह धारणा है कि यदि आप मतदाताओं की बहुत बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व एक ही सदस्य को करने देंगे, तो सामान्य निर्वाचन के समय मतदाताओं के सम्मुख जो विभिन्न प्रश्न रखे जाते हैं, उन पर वे यथोचित रूप से अपना मत प्रकट न कर सकेंगे।

सामान्य निर्वाचन के अवसर पर, जिसकी कि सम्भवत: यहां कल्पना की गई है, मतदाताओं के सम्मुख विभिन्न प्रश्न उपस्थित होंगे और चूंकि वे अनेक प्रकार के और प्राय: परस्पर विरोधी भी होंगे, इसलिए मतदाता अपना मत प्रकट करते समय गड़बड़ में पड़ जायेंगे। इस प्रकार के प्रत्येक निर्वाचन में यह अवश्य ही होगा और इसलिए मेरे विचार से अच्छा तो यह होगा कि लोगों के प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक संख्या निश्चित न की जाये। इसके स्थान में हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि बदलती हुई जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों की संख्या स्वत: ही निश्चित हो जाये। यह सच है कि यदि जनगणना प्रत्येक दशाब्दी के उपरान्त हो, तो उससे किसी ऐसे निर्वाचन में पथ-प्रदर्शन नहीं हो सकता है, जो दो जनगणनाओं के बीच में पड़े; क्योंकि हम इसे स्वीकार कर रहे हैं कि निर्वाचन कम से कम पांच वर्ष में एक बार होंगे और हो सकता है कि अधिक बार हों। चूंकि हमने पिछली जनगणना को इसका आधार स्वीकार

[प्रो. के.टी. शाह]

किया है, यद्यपि वह आठ वर्ष पहले हुई थी और इसमें भी सन्देह है कि युद्धकाल में वह यथोचित रूप से हुई अथवा नहीं, यदि आप प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक संख्या निश्चित कर देते हैं, तो सम्भावना इसकी है कि आगामी निर्वाचन में सभी लोगों का यथोचित प्रतिनिधित्व न होगा। आगे के सामान्य निर्वाचनों में पांच वर्ष की कालावधि से इतना अधिक अन्तर न पड़ेगा। वह अन्तर सम्भव है पांच प्रतिशत हो अथवा छः प्रतिशत अथवा साढ़े सात प्रतिशत। इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या में परिवर्तन के बाद प्रतिनिधियों की संख्या अधिक हो जायेगी, किन्तु निर्वाचन के प्रबंधकों के लिए उनकी व्यवस्था करना असम्भव न होगा।

इस दशा में मेरा सुझाव यह है कि प्रतिनिधित्व के लिए 500,000 की जनसंख्या की सीमा निश्चित की जाये। प्रतिनिधियों की कुल संख्या 500 निश्चित करने से, जैसा कि इस खंड के अधीन प्रावहित है, इस व्यवस्था से लोगों का मत और अच्छी प्रकार प्रकाशित होने की सम्भावना है, भले ही उनके सम्मुख कितने ही प्रश्न हों। निःसन्देह यदि जनसंख्या बढ़ी तो यह संख्या भी बढ़ जायेगी। इस प्रकार यह सम्भव है कि आगामी दो दशाब्दियों में अधिक से अधिक संख्या 600 या अधिक तक पहुंच जाये। मेरे विचार से भारतीय संघ के विस्तार और उसकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधियों की यह कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है।

जो लोग तेजी से काम करना चाहते हैं और कुछ ही लोगों की इच्छानुसार देश का शासन चलाना चाहते हैं, वे स्वभावतः प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी संख्या नहीं चाहेंगे। उनकी जितनी अधिक संख्या होगी, उतना अधिक विचार-विमर्श होगा और कानूनों अथवा प्रस्तावों को स्वीकार करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। सरकार के कार्यों की कई दृष्टिकोणों से, अर्थात् बीच में बोलकर इत्यादि, आलोचना होगी। इसलिए जो लोग सार्वजनिक कार्य को तेजी से चलाना चाहते हैं वे इस सुझाव को बहुत पसंद नहीं करेंगे।

किन्तु वे लोग, जिनको लोगों का तथा उनकी इच्छाओं का अधिक ध्यान रहता है, मेरे विचार से, इस व्यवस्था के कारण सुशासन के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न देखेंगे और न उन्हें देखना चाहिए। प्रतिनिधियों की संख्या में परिवर्तन

करने अथवा बढ़ाने की सम्भावना को आपत्तिजनक न समझना चाहिए। वास्तव में जिस रूप में यह खंड रखा गया है, उसमें इस विचार के सन्निवेश से भी कि प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक संख्या निश्चित करना आवश्यक है, यह प्रकट होता है कि इस योजना के अधीन भी संख्या में परिवर्तन करने की सम्भावना है और इसलिए मेरा संशोधन ठुकराने योग्य नहीं है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह मतदान की प्रणाली के सम्बन्ध में है। आगे आने वाले खंडों के सम्बन्ध में मैंने इस आशय के कुछ अन्य संशोधन उपस्थित किये हैं और जब वे उठाये जायेंगे, तो उस समय अपने विचार प्रकट करूंगा। इसलिए मैं इस समय सभा का समय नहीं लेना चाहता।

मतदान की प्रणाली के सम्बन्ध में मैं केवल इस पर जोर देना चाहता हूं कि प्रौढ़ नागरिक गूढ़शलाका द्वारा मतदान दें और वह एकल संक्राम्य मत की प्रथा से अनुपाती प्रतिनिधित्व की योजना के अनुसार हो। मैं अनुपाती प्रतिनिधित्व के सैद्धान्तिक आधार के पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध विस्तृत भाषण नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता महोदय उस पर विस्तार से बोल चुके हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे, कि अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का उद्देश्य साम्प्रदायिक अल्पसंख्यक-वर्गों को बनाये रखना नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के राजनैतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करना है। यदि आप अपने शासन को वास्तव में जनतंत्रात्मक बनाना चाहते हैं, तो आपके विधान-मंडल में इनका प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। उदाहरणार्थ, फ्रांसीसी प्रणाली सच्चे अर्थ में अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली पर आधृत नहीं है। किन्तु फिर भी फ्रांसीसी विधान-सभा में विभिन्न राजनैतिक विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। यह कहा जाता है कि तीसरी रिपब्लिक में कोई भी फ्रांसीसी विधान-सभा में विभिन्न राजनैतिक विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। यह कहा जाता है कि तीसरी रिपब्लिक में कोई भी फ्रांसीसी सरकार 11 महीने से अधिक काल तक पदारूढ़ नहीं रही। किन्तु इस कारण इस सिद्धान्त की निन्दा नहीं की जा सकती वहां प्रत्येक प्रकार के लोकमत के प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है और भले ही वहां की सरकार सुस्थिर न हो, किन्तु वह लोकमत का उस प्रणाली से अधिक प्रतिनिधित्व करती है, जिसके अधीन मनमाने मत की व्यवस्था है और जिसकी यहां कल्पना की गई है।

विभिन्न प्रकार के राजनैतिक विचारों के प्रतिनिधित्व की सम्भावना से अल्पसंख्यकों को विधान-मंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, बल्कि वे प्रभावपूर्ण ढंग से अपना मत प्रकट कर सकेंगे और अपने वर्ग

[प्रोफेसर के.टी. शाह]

को एक बहुसंख्यक-वर्ग भी बना सकेंगे। जो लोग अनुपाती प्रतिनिधित्व और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को भ्रमवश एक समान समझते हैं, वे इस पर विचार करें। श्रीमान्, इन कारणों को ध्यान में रखकर मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये।

श्री एच.वी. कामत (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (क) में 'representatives of the people of the territories of the States directly chosen by the voters' (अव्यवहित रीति से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित, राज्यों के प्रादेशिक लोक-प्रतिनिधि) शब्दों के स्थान में 'members directly chosen by the voters in the States' (राज्यों के मतदाताओं द्वारा अव्यवहित रीति से निर्वाचित सदस्य) शब्द रखे जायें।"

विधान के मसौदे में यह खंड इस प्रकार है:

"5 (a) Subject to the provisions of articles 292 and 293 of this Constitution, the House of the People shall consist of not more than five hundred representatives of the people of the territories of the States directly chosen by the voters."

[5 (क) इस संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अव्यवहित रीति से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित, राज्यों के प्रादेशिक लोकप्रतिनिधि, लोक सभा में पांच सौ से अधिक न होंगे।]

यदि मेरा संशोधन इस सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तो यह खंड इस प्रकार हो जायेगा:

"Subject to the provisions of articles 292 and 293 of this Constitution, the House of the People shall consist of not more than five hundred members directly elected by the voters in the States."

(इस संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्यों के मतदाताओं द्वारा अव्यवहित रीति से निर्वाचित सदस्य, लोक-सभा में पांच सौ से अधिक न होंगे।)

सभा इस ओर ध्यान देगी कि मेरे संशोधन से यह खंड संक्षिप्त और स्पष्ट हो जाता है और उसके वर्तमान रूप में जो भाषा के दोष हैं, वे भी मिट जाते

हैं। मुझे आशा है कि डॉक्टर अम्बेडकर और यह सभा उसे स्वीकार करने में किसी कठिनाई अथवा आपत्ति का अनुभव न करेगी। मैं केवल एक शब्द और कहूंगा। यदि मेरा संशोधन इस सभा ने स्वीकार कर लिया, तो इसके परिणामस्वरूप खंड 5 के उपखंड (ख) में तथा उसके परादिक में कुछ परिवर्तन करने होंगे। खंड 5 के उपखंड (क) के सम्बन्ध में जो यह संशोधन उपस्थित किया गया है, उसके अनुसार उपखंड (ख) और परादिक में भी 'representatives of the States' (राज्यों के प्रतिनिधि) शब्दों के स्थान में 'members' (सदस्य) शब्द रखना होगा। मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 1418, 1419 और 1420 का आशय एक समान है। मैं प्रोफेसर रंगा को संशोधन संख्या 1419 उपस्थित करने की आज्ञा देता हूं।

(संशोधन संख्या 1418 से 1423 तक उपस्थित नहीं किये गये।)

***प्रोफेसर के.टी. शाह:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

> "अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (ख) में 'the States' (राज्यों) शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं : 'and Territories directly governed by the Centre' (तथा केन्द्र द्वारा अव्यवहित रीति से शासित क्षेत्र)"

श्रीमान्, वर्तमान खंड में केवल उन राज्यों के लिये व्यवस्था की गई है, जिनका उद्देश्य सम्बद्ध अनुसूची में है। अनुसूची में उन वृहत् क्षेत्रों तथा उनकी वृहत जनसंख्या का उल्लेख नहीं है, जिनका प्रशासन सीधे-सीधे केन्द्र द्वारा होता है। मेरे विचार से उनका इस खंड में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है कि उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार की उपेक्षा न हो सके और वे अपने यहां प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थापित करने तथा केन्द्र में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने से वंचित न रहें।

यह कहा गया है और मैंने इसे बहुत ही प्रामाणिक रूप से सुना है कि इनमें से कुछ क्षेत्रों के अथवा किसी ऐसे क्षेत्र के लोग, जो केन्द्र द्वारा शासित हैं, इतने पिछड़े हुए हैं और इतने अपेक्षित हैं और उनका देश इतना अविकसित है कि

[प्रोफेसर के.टी. शाह]

वे अपने यहां प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थापित करने के योग्य नहीं हैं। यह बात कांग्रेस के जयपुर के अधिवेशन में कही गई थी और विशेषतया कच्छ की ओर संकेत किया गया था। कच्छ जैसे प्रदेश के सम्बन्ध में, जिसका प्रशासन केन्द्र द्वारा होता है, उच्च अधिकारियों से ऐसी निराधार निन्दा सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। श्रीमान्, बम्बई के नगर में बसे हुए कच्छ के लोगों ने ही वहां के वाणिज्य और उद्योग-धंधों को बहुत आगे बढ़ाया है। यह सच है कि कच्छ के ये लोग बहुत अंश में बम्बई के स्थायी नागरिक हो गये हैं, यद्यपि अब भी उनका कच्छ राज्य से सम्बन्ध है। यह लोग इस समय की बदली हुई परिस्थिति में अपने प्रदेश और अपने यहां के निवासियों को शीघ्रातिशीघ्र उन्नत बनाने में बहुत योग दे सकते हैं। यह एक निरर्थक बात है कि सारे प्रान्त अथवा राज्य को अशिक्षित, अविकसित तथा पुरुषार्थहीन घोषित करके और राज्य के भविष्य तथा उसके साधनों को समझने की बुद्धि से शून्य बताकर निन्दित किया जाये।

श्रीमान्, मेरे विचार से यह उन सब लोगों के प्रति अन्याय है, जिन्होंने देश की जागृति तथा उन्नति में अपना योग दिया है। इन कारणों से यदि उन लोगों को राज्य में अथवा उनके राज्य के संघांग होने के कारण केन्द्र में प्रतिनिधित्व न दिया जाये तो, यदि और अधिक कुछ न कहा जाय तो कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि यह एक प्रतिक्रियावादी कदम होगा।

मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि इसी प्रकार अन्य प्रदेशों की भी उपेक्षा होगी और उनका भी प्रतिनिधित्व न होगा और इसीलिए मैंने यह आवश्यक समझा कि इस संशोधन को उपस्थित किया जाय और इन शब्दों द्वारा उनको इस खंड में समाविष्ट कर दिया जाय। मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 1425 का प्रथम भाग और संशोधन संख्या 1426, जो श्री कामत के नाम से है, एक समान हैं। मेरा यह प्रस्ताव है कि संशोधन संख्या 1425 का प्रथम भाग और द्वितीय भाग दोनों उपस्थित किये जायें। श्री कामत क्या आप चाहते हैं कि आपके संशोधन संख्या 1426 पर मत लिया जाये?

***श्री एच.वी. कामतः** मैं यह देखता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर चोरी से मुझसे आगे बढ़ गये हैं और इसलिए मैं अपना संशोधन उपस्थित नहीं करना चाहता।

***उपाध्यक्षः** डॉक्टर अम्बेडकर।

***माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई : जनरल): मैं उसे उपस्थित नहीं कर रहा हूं।

***उपाध्यक्षः** तब हम संशोधन संख्या 1427 पर आते हैं, जो प्रोफेसर के.टी. शाह के नाम से है।

***प्रोफेसर के.टी. शाहः** मेरे नाम से संशोधन संख्या 1428 और 1429 भी हैं। क्या मैं उन्हें एक साथ उपस्थित कर सकता हूं?

***उपाध्यक्षः** आप उन्हें एक-एक करके उपस्थित कर सकते हैं। तीनों संशोधनों को उपस्थित करने पर आप उन सब के सम्बन्ध में एक भाषण दे सकते हैं।

प्रोफेसर के.टी. शाहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में से 'divided, grouped or' (विभाजन, वर्गीकरण अथवा) शब्द निकाल दिये जायें।"

'अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (ख) में 'constituencies' (निर्वाचन क्षेत्रों) शब्द के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

'So that each State being constituent part of the Union, or Territory governed directly by the Centre is a single constituency by itself if its population is not less than a million; or grouped with such adjoining States or Territories as together have a population of not less than a million.' "

(ताकि प्रत्येक राज्य संघ का अथवा केन्द्र द्वारा अव्यवहित रीति से शासित क्षेत्र का अंग होने के कारण यदि उसकी जनसंख्या दस लाख से कम

[प्रोफेसर के.टी. शाह]

न हो तो, एक स्वतंत्र निर्वाचन-क्षेत्र हो अथवा वह किन्हीं ऐसे निकटस्थ राज्यों अथवा क्षेत्रों के वर्ग में हो, जिनकी जनसंख्या मिलाकर दस लाख से कम न हो।)

"अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (ख) में 'constituencies' (कांस्ट्यूएंसीज) शब्द के बाद फुलस्टाप रखा जाये, उसके बाद ही आने वाली 'and' (एण्ड) शब्द निकाल दिया जाये। और शब्द 'the' (दी) बड़े टी से छापा जाये।"

श्रीमान् मैं जो प्रस्ताव उपस्थित कर चुका हूं, उसके परिणामस्वरूप ही मैंने इन संशोधनों को भी उपस्थित किया है। मैंने इन्हें इस उद्देश्य से उपस्थित किया है कि निर्वाचन-क्षेत्र इस प्रकार निश्चित किये जायें कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए कम से कम दो जगहों की व्यवस्था हो सके। कम से कम 10 लाख की जनसंख्या की सीमा निश्चित की गई है और मेरा सुझाव यह है कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की जिस प्रणाली के अनुसार प्रतिनिधित्व होने वाला है, उसका आधार यही समझा जाये।

श्रीमान् एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को प्रयोग में लाना सम्भव न होगा। कम से कम उसका वह प्रभाव न होगा, जिसकी आशा इस प्रणाली पर विश्वास करने वाले लोग लगाये बैठे हैं। इसलिए यह उचित ही होगा कि बहु-सदस्य विर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था की जाये और प्रत्येक के कम से कम दो प्रतिनिधि हों।

इसी आधार पर और उस सिद्धान्त के अनुसार, जिसे हमने विधान में इस सभा में ही स्वीकार किया है, मैंने दस लाख जनसंख्या की इकाई का सुझाव उपस्थित किया है। पहले एक संशोधन में मैंने यह सुझाव भी रखा है कि ऐसी कम से कम जनसंख्या, जिसका प्रतिनिधित्व हो सके, पांच लाख होनी चाहिए। मेरे विचार से इन दो संशोधनों के फलस्वरूप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को कम से कम दो प्रतिनिधि प्राप्त हो जायेंगे।

अधिकांश राज्य इस प्रकार के निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था करने में स्वयं समर्थ हो सकेंगे। निस्सन्देह कुछ राज्य ऐसे भी होंगे, जो बहुत विस्तृत होंगे और

इसलिए उनमें अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रयोग बहुत सफल हो सकेगा। इस प्रकार केन्द्र द्वारा शासित सभी राज्यों और प्रदेशों का भी पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व हो जायेगा। इससे संघीय विधान-मंडल में भी यथोचित रूप से प्रतिनिधित्व हो सकेगा और सभी विचारधाराओं के प्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। और संघीय विधान-मंडल के समक्ष कानून बनाने की दृष्टि से अथवा अन्य उद्देश्य से जो प्रश्न उपस्थित किये जायेंगे, उन पर पूर्ण रूप से प्रकाश पड़ सकेगा।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, उचित यह होगा कि हम निर्वाचन-क्षेत्रों के ऐसे समूह बनायें अथवा ऐसी इकाइयां बनायें जिससे कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर प्रत्येक संघांग का और प्रत्येक राजनैतिक विचारधाारा का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व हो सके। श्रीमान्, मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

(संशोधन संख्या 1430 उपस्थित नहीं किया गया।)

***श्री एच.वी. कामतः** उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपके सम्मुख एक निवेदन कर सकता हूं? मैंने यह सोचा था कि डॉक्टर अम्बेडकर अपना संशोधन संख्या 1425 उपस्थित कर रहे हैं और इसलिए मैंने यह कहा था कि मेरा संशोधन उपस्थित न होगा। यह प्रतीत होता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपना संशोधन उपस्थित नहीं कर रहे हैं। उनके संशोधन के दो भाग हैं और उन्होंने उन भागों को अलग-अलग नहीं किया है। इसलिए क्या आप कृपा करके मुझे अपना संशोधन संख्या 1426 उपस्थित करने की आज्ञा देंगे?

***उपाध्यक्षः** अच्छी बात है।

***श्री एच.वी. कामतः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (ख) में से 'of India' (भारत के) शब्द निकाल दिये जायें।"

विधान के मसौदे में खंड 5 का उपखंड (ख) इस प्रकार है:

"For the purpose of sub-clause (a), the States of India shall be divided, etc. [उपखंड (क) के प्रयोजनार्थ भारत के

[श्री एच.वी. कामत]

राज्यों का इत्यादि] यह स्पष्ट है कि 'of India' (भारत के) शब्द बेकार हैं और मेरे विचार से उन्हें निकाल देना चाहिए। क्योंकि विधान के मसौदे में राज्यों का अर्थ सर्वत्र भारतीय राज्यों से ही है। इसलिये, श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि 'of India' (भारत के) शब्द इस खंड से निकाल दिये जायें। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया, तो यह उपखंड इस प्रकार हो जायेगा।

"For the purpose of sub-clause (a), the States shall be divided, etc. [उपखंड (क) के प्रयोजनार्थ राज्य इत्यादि]"

यह स्पष्ट है। मैं नहीं समझता हूं कि इस विषय पर अधिक बोलने की आवश्यकता है। मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

***प्रोफेसर के.टी. शाह:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (ख) का परादिक निकाल दिया जाये।"

श्रीमान्, यह संशोधन उन संशोधनों के परिणामस्वरूप ही उत्पन्न होता है, जिन्हें मैं उपस्थित कर चुका हूं। चूंकि मैं यह नहीं चाहता कि लोक-सभा में प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक संख्या निश्चित की जाये, इसलिए यह उचित न होगा कि दोनों सभाओं के लिए इस प्रकार की अधिक से अधिक संख्या अथवा किसी प्रकार का अनुपात निश्चित किया जाये। यदि मेरे पहले के संशोधन स्वीकार कर लिये गये, तो यह उनके परिणामस्वरूप स्वीकार हो जायेगा। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में सभा का अधिक समय लेना आवश्यक नहीं समझता। मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 1432 शाब्दिक है और इसलिये उसे उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

संशोधन संख्या 1433 के दोनों विकल्पों और संशोधन संख्या 1437 का आशय एक समान है। संशोधन संख्या 1437 उपस्थित किया जा सकता है। वह प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना के नाम से है।

(संशोधन उपस्थित नहीं किये गये।)

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिम बंगाल : मुस्लिम): श्रीमान्, आप की अनुमति से तथा इस सभा की अनुमति से मैं संशोधन संख्या 1434 को कुछ परिवर्तित रूप में उपस्थित करना चाहता हूं। उसमें एक ऐसे संशोधन के अनुसार शाब्दिक परिवर्तन होंगे जिसे कि सभा स्वीकार कर चुकी है।

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:

"अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (क) में 'Last preceding census' (अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में) शब्दों के स्थान में 'last preceding census of which the relevant figures have been published' (अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में, जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हों) शब्द रखे जायें।"

माननीय डॉ. अम्बेडकर ने इसी प्रकार के एक अन्य संशोधन को इसी रूप में स्वीकार किया था। जिस विषय पर इस सभा में विचार-विमर्श हो चुका है और एक दूसरे प्रसंग में इस सिद्धान्त को भी स्वीकार कर लिया गया है वह प्रसंग यह था कि यदि हमें किसी जगनणना पर निर्भर होना है, तो उसके आंकड़े उपलब्ध होने चाहियें। हम किसी ऐसी जनगणना पर निर्भर नहीं हो सकते जिसके कि आंकड़े प्राप्त न हों। यदि हमें निर्वाचन करना होगा तो जनगणना के बाद तुरन्त ही हमें आंकड़े प्राप्त न हो जायेंगे। आंकड़े प्राप्त करने में लगभग एक वर्ष का समय लग जाता है। निर्वाचन के पूर्व जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हमें कई बातें करनी होती हैं। इस स्थिति में हमें पहली जनगणना पर निर्भर रहना पड़ता है चूंकि उसके आंकड़े हम प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर सभा में अच्छी प्रकार विचार-विमर्श हुआ था और इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया था। यह संशोधन उस स्वीकृत प्रस्ताव के बहुत कुछ परिणामस्वरूप ही उत्पन्न होता है।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** श्रीमान् मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 1434 के सम्बन्ध में अनुच्छेद 67 के उपखंड (5) में 'members to be elected at any time for' (किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यों) शब्दों के स्थान में 'representatives allotted to' (निश्चित प्रतिनिधि) शब्द रखे जायें।"

खंड (ग) इस प्रकार है:

"The ratio between the number of Mebers to be elected at any time for each territorial constituency and the

[श्री एल. कृष्णास्वामी भारती]

population of that constituency as ascertained at the last preceding census shall, so far as practicable, be the same throughout India.,

(प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का, उस प्रदेश की अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या से, अनुपात, समस्त भारत में, जहां तक व्यवहार्य हो, एक ही होगा।

खंड (ख) के अनुसार 750,000 की जनसंख्या के लिये कम से कम एक प्रतिनिधि होगा और 500,000 की जनसंख्या के लिये एक से अधिक प्रतिनिधि न होगा। इस प्रकार की रियायत देने पर यह सम्भव है कि सारे भारत में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में एकरूपता न हो। इस खंड का यह, उद्देश्य है कि सारे भारत में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में एकरूपता आ जाये, चाहे वह किसी प्रकार की क्यों न हो। इसी एकरूपता को लाने के लिये यह खंड उपस्थित किया गया है, किन्तु 'members to be elected at any time for each territorial constituency' (प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यों) शब्दों से पूरा अर्थ-बोध नहीं होता है और इसीलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है कि 'members to be elected at any time for' (किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यों) शब्दों के स्थान में 'representatives allotted to' (निश्चित प्रतिनिधि) शब्द रखे जायें। यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो खंड इस प्रकार हो जायेगा:

"The ratio between the number of representatives allotted to each territorial constituency and the population of that constituency as ascertained at the last preceding census shall, so far as practicable, be the same throughout India."

(प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये निश्चित प्रतिनिधियों की संख्या का उस प्रदेश की अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या से, अनुपात, समस्त भारत में, जहां तक व्यवहार्य हो, एक ही होगा।)

अर्थ को स्पष्ट करने के लिये ही यह संशोधन उपस्थित किया गया है।

(संशोधन संख्या 1435 और 1436 उपस्थित नहीं किये गये।)

***उपाध्यक्षः** संशोधन संख्या 1438 को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि वह केवल रस्मी है।

(संशोधन संख्या 1439, 1440, 1441 और 1442 उपस्थित नहीं किये गये।)

संशोधन संख्या 1443 को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि वह शाब्दिक है।

(संशोधन संख्या 1444 और 1445 उपस्थित नहीं किये गये।)

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"अनुच्छेद 67 का खंड (7) निकाल दिया जाये।"

इस खंड में उन प्रदेशों का वर्णन है, जो राज्य नहीं है। इस खण्ड के सम्बन्ध में यह आपत्ति है कि संसद् को उन प्रदेशों का प्रतिनिधित्व निश्चित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जो राज्य नहीं हैं। इन प्रदेशों के सम्बन्ध में यह निवेदन करता हूं, और यही निवेदन मैं एक इसी के समान अन्य संशोधन के सम्बन्ध में कह चुका हूं, कि यदि किसी प्रदेश में किसी प्राधिकारी का शासन हो तो उसी प्राधिकारी को उसका प्रतिनिधित्व निश्चत करना चाहिये। इस सिद्धान्त का विधान में समावेश कर देना चाहिये। उस प्रदेश के किसी यथोचित प्राधिकारी पर यह छोड़ देना चाहिये कि वह इसका निर्णय करे कि प्रतिनिधित्व का अधिकार किसे दिया जाये। इन प्रदेशों में कोई प्राधिकारी पदारूढ़ होंगे ही और उन्हीं को, न कि संसद् को अपने प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिये। यह जनमत की व्यवस्था कर के हो सकता है अथवा किसी अन्य प्रकार। वास्तव में इससे कुछ प्रदेश आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित हो जाते हैं।

***उपाध्यक्षः** संशोधन संख्या 1447, प्रोफेसर के.टी. शाह!

***प्रोफेसर के.टी. शाहः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"अनुच्छेद 67 के खंड (7) में 'may' (मे) शब्द के स्थान में 'shall' (शैल) शब्द, 'territories" (टेरिटरीज) शब्द के स्थान में 'the territories' (दी टेरिटरीज) शब्द और 'other than States' (अन्य प्रदेशों के) शब्दों के स्थान में 'directly governed by the Centre on the same basis as in the case of States which are constituent parts of the Union' (जो केन्द्र द्वारा अव्यवहित रीति से उसी आधार पर शासित हों जिस आधार पर

[प्रोफेसर के.टी. शाह]

वे राज्य शासित होते हैं जो संघ के अंग हैं) शब्द क्रमशः रखे जायें। संशोधित खंड इस प्रकार हो जायेगा:

"Parliament shall, by law, provide for the representation in the House of the People, of the Territories directly governed by the Centre on the same basis as in the case of States which are constituent parts of the Union."

(संसद, विधि द्वारा, राज्यों के, जो केन्द्र द्वारा अव्यवहित रीति से उसी आधार पर शासित हों जिस आधार पर वे राज्य शासित होते हैं जो संघ के अंग हैं, लोक सभा में प्रतिनिधान का प्रावधान कर सकेगी।)

इससे इन सभी प्रदेशों को समान अधिकार प्राप्त हो जायेगा। श्रीमान्, मैं यह बता चुका हूं कि कई प्रदेश ऐसे हैं जिनका शासन सीधे-सीधे केन्द्र द्वारा होता है और यदि आगे चलकर नये प्रदेश संघ में सम्मिलित होना चाहेंगे, तो यह सम्भव है कि इनकी संख्या बढ़ जाये। इसके अतिरिक्त यदि कुछ समय के लिये भी इनका शासन सीधे-सीधे केन्द्र द्वारा हो तो यह उचित ही होगा कि उनको भी किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

इसलिये मैं यह चाहता हूं कि विधान द्वारा यह अनिवार्य कर दिया जाये कि उन्हें भी यथोचित प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने की व्यवस्था की जाये। उनका प्रतिनिधित्व उसी आधार पर होना चाहिये जिस आधार पर संघ में सम्मिलित अन्य राज्यों का होता है; अर्थात् 500,000 की जनसंख्या के लिये एक प्रतिनिधि होना चाहिये। इसकी चर्चा न की जानी चाहिये कि कोई प्रदेश अधिक विकसित है और इसलिये उसको प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिक अधिकार है और अन्य प्रदेश, भले ही वे संघ के अंग हो गये हों, चूंकि वे कम विकसित हैं और पिछड़े हुये हैं, इसलिये वे अपने यहां अथवा संघ में यथोचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार की चर्चा तो उस विदेशी सत्ता को शोभा देती थी जो 18 महीने पूर्व इस देश में शासन करती थी और वास्तव में वह सत्ता तो बहुत काल तक इस सारे देश को प्रतिनिधि संस्थाओं के योग्य ही नहीं समझती थी। यदि इस प्रकार की विचारधारा प्रबल रहती तो हम इस समय स्वतंत्र भारत का विधान न बनाते होते। इस प्रकार की संस्थाओं और कार्यों के सम्बन्ध में लोग

काम करके ही उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके कार्य की शिक्षा देने से लोग इस प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी यह धारणा है कि यह संशोधन मेरे उपस्थित किये हुये पूर्व संशोधनों के फलस्वरूप ही उत्पन्न होता है और इसलिये यह स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

श्रीमान्, मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

***उपाध्यक्ष:** अब हम संशोधन संख्या 1448 और 1449 पर आते हैं जिन्हें उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती क्योंकि वे केवल शाब्दिक हैं।

संशोधन संख्या 1450, जो पं. लक्ष्मीकात मैत्र के नाम से है, उपस्थित किया जा सकता है।

***पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

> "अनुच्छेद 67 के खंड (8) में 'readjusted' शब्द के बाद (हिन्दी में 'पुनर्व्यवस्थापित' शब्द के पूर्व) 'on the basis of population' (जनसंख्या के आधार पर) शब्द जोड़ दिये जायें।"

अनुच्छेद 67 के खंड (8) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के समाप्त होने पर राज्य-परिषद् में कई राज्यों का तथा लोकसभा में कई प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, इस विधान के अनुच्छेद 289 के प्रावधानों के अधीन उस प्राधिकारी द्वारा उस प्रकार और उस तारीख से पुनर्निश्चित किया जायेगा, जिसे कि संसद् कानून द्वारा निश्चित करेगी। मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि यह पुनर्निश्चयन जनसंख्या के आधार पर हो। यह संशोधन स्वव्याख्यात्मक है और मुझे इस पर अधिक विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

***उपाध्यक्ष:** सूची 2 के इस संशोधन संख्या संख्या 43 पर एक संशोधन है जो श्री एल. कृष्णास्वामी भारती के नाम से है।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** श्रीमान्, मैं उसे उपस्थित कर रहा हूं। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 1450 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 67 के खंड (8) के बाद निम्नलिखित नया परादिक रखा जाये:

"Provided that such readjustment shall not affect representation to the House of the People until the dissolution of the then existing House.' " (पर ऐसी पुनर्व्यवस्थापना का लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर, वर्तमान सभा की समाप्ति तक कोई प्रभाव न होगा।)

श्रीमान्, अनुच्छेद 67 का उपखंड (8) इस प्रकार है:

"Upon the completion of each census the representation of the several States in the Council of States and of the several territorial constituencies in the House of the People shall, subject to the provisions of article 289 of this Constitution, be readjusted by such authority, in such manner and with effect from such data as Parliament may, by law, determine."

(प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्य-परिषद् में विविध राज्यों का और लोक-सभा में विविध प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, इस विधान के अनुच्छेद 289 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी तिथि से प्रभावी होने के लिये, पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा जैसा कि संसद, विधि द्वारा, निश्चय करे।)

यह उपखंड इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर रखा गया है कि विधान-मंडल के निर्वाचन के पश्चात्, चाहे वह राज्य-परिषद् के लिये हो अथवा लोक सभा के लिये, जनगणना की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस प्रकार नये आंकड़े प्राप्त हो जायेंगे और इन आंकड़ों के आधार पर ही हमें नि:संदेह जगहों की संख्या निश्चित करनी होगी। परन्तु यदि आंकड़े बाद को प्राप्त हुये तो जगहें निश्चित करना सम्भव न होगा और यह आगे के निर्वाचनों के समय भी किया जा सकेगा इसलिये इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह व्यवस्था की गई

है कि जब कभी जनगणना हो और ऐसे आंकड़े प्राप्त हों, जिनके आधार पर जगहों को फिर से निश्चित करना आवश्यक हो, तो यह आगे के निर्वाचन के समय ही किया जाये। इसका उस समय की राज्य-परिषद् अथवा लोकसभा पर कोई प्रभाव न पड़ना चाहिये। अनुच्छेद 149 के उपखंड 4 में भी इसी के समान एक प्रावधान है। यह बात यहां पर छूट गई है और मैंने यहां रखने का प्रयास किया है, ताकि यह अनुच्छेद 149 की व्यवस्था के अनुरूप हो जाये। मुझे आशा है, यह सभा इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

***उपाध्यक्ष:** इसके बाद संशोधन संख्या 1451 आता है, जो श्री नन्दलाल के नाम से है। माननीय सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं।

संशोधन संख्या 1452, जो मि. महबूब अली बेग के नाम से है, उपस्थित किया जा सकता है।

***श्री महबूब अली बेग साहिब** (मद्रास : मुस्लिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"अनुच्छेद 67 के साथ निम्नलिखित नया खंड (10) जोड़ दिया जाये:

'(10) the election to the House of the People shall be in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote' (लोक सभा के लिये निर्वाचन एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होगा।)' "

श्रीमान्, कल राज्य-परिषद् के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त हमने स्वीकार किया था, उसी को मैं इस प्रसंग में भी प्रयोग में लाना चाहता हूं। श्रीमान्, मुझे इसकी प्रसन्नता है कि कल सभा ने उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया, जो इस निर्वाचन-प्रणाली में सन्निहित है। इस प्रणाली के सम्बन्ध में तथा यह सिद्ध करने के लिये कि यह निर्वाचन-प्रणाली अधिक जनतंत्रात्मक और वैज्ञानिक है, मैंने जो तर्क उपस्थित किये थे उन्हें मैं नहीं दोहराना चाहता। इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों से, विशेषतया मेरे माननीय मित्र पं. कुंजरू के भाषण से, इस सभा पर यह प्रभाव पड़ा था कि राज्य-परिषद् के सम्बन्ध में निर्वाचक विधान-मंडल के सदस्य ही होंगे, जो संयुक्त निर्वाचन

[श्री महबूब अली बेग साहिब]

प्रणाली के आधार पर, न कि साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली के आधार पर, चुने जायेंगे। इस प्रकार यदि राज्य-परिषद् अथवा किसी अन्य परिषद् के निर्वाचन के सम्बन्ध में यह प्रणाली स्वीकार कर ली जाये, तो किसी भी साम्प्रदायिक दल के प्रवेश करने का आशंका नहीं रह जाती। उन्होंने बताया कि वे इस प्रणाली का इसी कारण समर्थन कर रहे हैं।

यदि मुझे उनके भाषण का अर्थ लगाने की आज्ञा हो, तो उनका आशय यह था कि यदि इस निर्वाचन-प्रणाली के अधीन यह सम्भावना होती कि साम्प्रदायिक दलों के लोग विधान-मंडल के लिये चुने जा सकते तो वे इसका समर्थन न करते। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रणाली के अधीन किसी साम्प्रदायिक दल के प्रवेश करने की सम्भावना नहीं रह जाती और यदि ऐसे दल का कोई सदस्य निर्वाचित हो जाये, तो वह उसी प्रकार निर्वाचित होगा, जैसे बहुसंख्यक दल के मत से भिन्न मत रखने वाला कोई व्यक्ति निर्वाचित होता। यदि इसे आपत्ति-जनक न समझा जाये कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जिनके विचार बहुसंख्यक दल के विचारों से भिन्न हों, तो वे इस प्रणाली के अधीन विधान-मंडलों में प्रवेश कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कारण है जिससे कि किसी साम्प्रदायिक दल को विधान-मंडल में प्रवेश करने का अधिकार हो, पं. कुंजरू ने कहा था कि राज्य-परिषद् के लिये वे इस प्रणाली का समर्थन इसलिये कर रहे हैं कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग निर्वाचित हो सकें, भले ही उनकी विचारधारा बहुसंख्यक दल की विचारधारा से भिन्न हो। उन्होंने कहा था कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को इसी कारण एक सुन्दर प्रणाली कहा जा सकता है क्योंकि इसके अधीन ऐसे लोग भी विधान-मंडल में प्रवेश कर सकते हैं, जिनका मत बहुसंख्यक दल के मत से भिन्न हो।

इसलिये, श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि यदि इस निर्वाचन-प्रणाली को दोषयुक्त कहा जा सकता है, तो यह संसदात्मक जनतंत्रात्मक प्रणाली ही के कारण कहा जा सकता है। सारा दोष राजनैतिक दलबन्दी का है, अन्यथा इस प्रणाली में कोई दोष नहीं है। पहले एक अवसर पर मैंने यह कहा था कि इस

दलबन्दी की प्रणाली के कारण, इस संसदात्मक जनतंत्र के कारण कहीं यह भी होता है कि एक ही दल के सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं और वे दूसरे दल पर प्रभुत्व रखने का प्रयास करते हैं और अल्पसंख्यक दलों के सदस्यों के लिये निर्वाचित होना असम्भव कर देते हैं और सभी प्रकार का दमन करते हैं। श्रीमान्, इसी कारण मैंने यह कहा था कि संसदात्मक जनतंत्र पर आधृत इस प्रकार का शासन वांछनीय नहीं है। चाहे वह जैसा भी हो, श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि इस प्रणाली के अधीन, इस एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अधीन, ऐसे लोगों और दलों का भी विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व हो सकेगा, जिनका मत बहुसंख्यक दल से भिन्न हो। जो बात राज्य-परिषद् के निर्वाचन के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। वही बात लोक सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। यदि इस प्रणाली के अधीन लोगों के ऐसे दलों अथवा वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिनका मत बहुसंख्यक दल के मत से भिन्न हो और इस प्रकार वे एक विपक्षी दल स्थापित कर सकते हैं, तो मैं यह पूछता हूं कि इससे भिन्न प्रणाली को स्वीकार ही क्यों किया जाये? क्या आप किसी ऐसे संसदात्मक जनतंत्र की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें विपक्षी दल का कोई स्थान ही न हो? जब तक विपक्षी दल नहीं रहेगा, शासनारूढ़ दल के फासिस्ट दल हो जाने की सम्भावना बनी रहेगी। विपक्षी दल की ऐसी भावना तभी हो सकती है जब कि ऐसे लोगों को विधान-मंडल के लिये निर्वाचित होने का अवसर दिया जाये, जिनका मत बहुसंख्यक दल के मत से भिन्न हो। इसलिये, श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि केवल इस प्रणाली के अधीन ही संसदात्मक जनतंत्र में एक प्रबल विरोधी दल की स्थापना हो सकती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि प्रथम तो सिद्धान्ततः इसमें कोई दोष नहीं है और जैसा कि मैं कह चुका हूं यह अधिक वैज्ञानिक और जनतंत्रात्मक है और फिर इससे ऐसे वर्गों के लोगों को भी निर्वाचित होने का अवसर मिलता है, जिनका मत बहुसंख्यक दल के मत से भिन्न हो और वे एक विपक्षी दल का संगठन कर सकते हैं। अन्यथा शासनारूढ़ दल एक फासिस्ट दल हो जायेगा। इसलिये, श्रीमान्, मैं यह सिफारिश करता हूं कि लोक सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में भी इस प्रणाली को स्वीकार किया जाये।

श्रीमान्, मैं दूसरे वैकल्पिक संशोधन को उपस्थित नहीं कर रहा हूं।

***उपाध्यक्षः** अब इस अनुच्छेद पर खंड 5 के अन्त तक सामान्य वादानुवाद हो सकता है।

***पं. ठाकुरदास भार्गव** (पूर्वी पंजाब : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 67 के खंड (5) में लोक-सभा के लिये 500 प्रतिनिधि निश्चित किये गये हैं और उसमें यह भी कहा गया है कि इन प्रतिनिधियों को निर्वाचक सीधे-सीधे चुनेंगे तथा खंड (ख) में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का वर्णन है। इन दो उपधाराओं के सम्बन्ध में मैंने संशोधन उपस्थित किये थे और उनका यह आशय था कि अनुच्छेद 292 का उल्लेख न किया जाये और यह भी कि प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सुसम्बद्ध क्षेत्र होने चाहिये और कोई विशेष निर्वाचन-क्षेत्र अथवा सुरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र न होने चाहिये। वास्तव में इस खंड (5) में निर्वाचकों के लिये एक ही प्रणाली निश्चित की गई है और उसमें यह नहीं कहा गया है कि किस विशेष प्रणाली द्वारा उन्हें प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होगा। मि. करीमुद्दीन ने इस आशय का एक संशोधन उपस्थित करने का प्रयास किया था कि प्रतिनिधित्व सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार हो, जिसका अर्थ मेरे मतानुसार यह है कि पृथक् निर्वाचन-क्षेत्रों की स्थापना हो जायेगी। मेरा यह प्रस्ताव है कि इन दो खंडों पर तथा अनुच्छेद 292 के अधीन जगहों को सुरक्षित रखने के प्रश्न पर और निर्वाचन सम्बन्धी अन्य अनुच्छेदों पर उस समय पूर्ण रूप से विचार-विमर्श हो जब कि हम उन अनुच्छेदों को उठायेंगे और इन पर इस समय पृथक् रूप से विचार-विमर्श न होना चाहिये, क्योंकि यदि हम अनुच्छेद 292 अथवा 293 में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उन्हें संशोधित करने अथवा स्वीकार करने का ठीक अवसर उस समय होगा जब कि हम इन अनुच्छेदों पर विचार-विमर्श करें। इसलिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि खंड (5) के सम्बन्ध में हमें यह मान लेना चाहिये कि जब तक अनुच्छेद 292 और 293 पर विचार-विमर्श न हो जाये, हमारे लिये उन पर संशोधन उपस्थित करने और उन्हें अपनी इच्छानुसार परिवर्तित करने में कोई अवरोध न होगा। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि जगहों को सुरक्षित रखने, निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमायें निर्धारित करने और सीमा निर्धारित करने की प्रणाली पर विचार-विमर्श उस समय के लिये स्थगित किया जाये, जब कि हम अनुच्छेद 292 और 293 पर विचार करें।

अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी मैं खंड 6 के सम्बन्ध में इस आशय का एक संशोधन उपस्थित करना चाहता था कि प्रौढ़ मताधिकार पर मतदान के अधिकार से वंचित करने के लिये निरक्षरता भी एक कारण समझा जाये। यदि कोई व्यक्ति निरक्षर हो तो उसे मतदान का अधिकार न देना चाहिये। वास्तव में इस संशोधन को उपस्थित करके मैं किन्हीं लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं प्रौढ़ मताधिकार के बहुत पक्ष में हूं। मैं केवल यह चाहता था कि चूंकि अगले दो वर्ष अथवा एक वर्ष तक निर्वाचन न होंगे, इसलिये उस समय में प्रत्येक निर्वाचक को अपने को शिक्षित बना लेना चाहिये और कम से कम लिखना-पढ़ना तो सीख ही लेना चाहिये। क्योंकि मेरी समझ से कोई भी व्यक्ति तीन महीने के अन्दर ही लिखना-पढ़ना सीख सकता है। यदि हम मताधिकार के प्रयोग पर साक्षरता का प्रतिबन्ध लगा दें तो इससे प्रौढ़ शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और निर्वाचक भी लिखने-पढ़ने का विशेष अभ्यास करेंगे। श्रीमान्, यदि हम इस पर विचार करें कि प्रौढ़ मताधिकार प्राप्त होने पर कितने अधिक निर्वाचक हो जायेंगे, तो हमारे सामने एक बृहत् प्रश्न उपस्थित हो जाता है। हिसाब लगाने पर मेरी समझ से लगभग बारह करोड़ निर्वाचक हो जायेंगे। तीस करोड़ की जनसंख्या को ध्यान में रखकर यह कोई गलत अनुमान नहीं है कि निर्वाचकों की संख्या बारह करोड़ हो जायेगी। यदि एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था रही और पांच सौ प्रतिनिधि चुने गये, तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में कम से कम 240,000 मतदाता होंगे। यदि बहु-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था की गई और एक निर्वाचन-क्षेत्र से 4 सदस्य चुने गये तो मतदाताओं की संख्या लगभग 960,000 होगी। अभी तक केन्द्रीय विधान-सभा के सामान्य निर्वाचनों में 8,000 से लेकर 40,000 तक मतदाता भाग लेते थे। इतनी अधिक संख्या हो जाने पर मेरी समझ में नहीं आता कि हम निर्वाचनों का प्रबन्ध किस प्रकार करेंगे। निर्वाचनों में इस समय की तरह एक या दो दिन नहीं लगेंगे, बल्कि मेरे विचार से एक महीना तक लग सकता है। निर्वाचन-स्थल भी बहुत बड़े होंगे। मेरे विचार से यह प्रश्न इतना बृहत् है कि हमें यह सन्देह होता है कि जिस प्रकार हम निर्वाचन करना चाहते हैं उस प्रकार वे हो भी सकेंगे अथवा नहीं। इतने अधिक निर्वाचक शिक्षित कैसे बनाये जायेंगे? निर्वाचनों को सफल बनाने के लिये आप इन निर्वाचकों को किस प्रकार

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

समझायेंगे? जब मेरे ध्यान में यह आता है कि बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों और सुरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों का भी प्रस्ताव उपस्थित किया गया है तो मुझे तो स्थिति और भी जटिल दिखाई देती है। मेरे विचार से इस समय दलित-वर्गों के किसी व्यक्ति को अथवा अन्य किसी व्यक्ति को लोग उसी के तालुके में जानते हैं और अन्य कई जिलों के लोग उसे नहीं जानते। यदि कई जिलों का एक निर्वाचन-क्षेत्र हुआ तो मेरी समझ में नहीं आता कि निर्वाचन की समुचित व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी। निर्वाचकों को निर्वाचित व्यक्ति को जानने का कोई अवसर ही न मिलेगा। इसलिये इस कठिनाई को दूर करने के लिये मेरा यह सुझाव है कि पहले दस वर्ष के लिये यह मताधिकार साक्षर लोगों तक ही सीमित रखा जाये। इस प्रकार हम ऐसा कार्य करेंगे जो वास्तव में उपयोगी सिद्ध होगा, अन्यथा मेरे मत में यह निर्वाचन उपहासास्पद ही होंगे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यदि इस सभा को यह मत स्वीकार्य प्रतीत हो, तो हमें खंड (6) में साक्षरता का प्रतिबन्ध रख देना चाहिये।

इसी आशय की एक बात और मुझे खंड 5 के उपखंड (ग) के सम्बन्ध में कहनी है। उस अनुच्छेद में ये शब्द हैं—"अन्तिम पूर्ववर्त्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या"। पिछली जनगणना के आधार पर जो आंकड़े एकत्रित किये गये हैं, वे बहुत कुछ गलत सिद्ध होंगे। पूर्वी पंजाब में लाखों लोग पश्चिमी पंजाब से आ गये हैं और वहां से बाहर भी चले गये हैं। यही स्थिति पश्चिमी बंगाल की भी है। यहां अब भी पूर्वी बंगाल से लोग आ रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत से लोग आ बसे हैं। पिछली जनगणना के आंकड़े सही नहीं समझे जा सकते और यदि हम वर्तमान स्थिति पर विचार करें तो वे आंकड़े वास्तविकता से बहुत दूर पाये जायेंगे। इसलिये हमें किसी अन्य साधन को अपनाना होगा और ऐसे साधन का सुझाव अनुच्छेद 313 में किया गया है। मुझे इस सम्बन्ध में बहुत संदेह है कि निर्वाचकों की संख्या से हमें वास्तविक आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे अथवा नहीं। निर्वाचकों की संख्या से जनसंख्या के आंकड़ों का हिसाब लगाना केवल अनुमान मात्र होगा और यह उन सिद्धान्तों के अनुरूप न होगा जो 5 से लेकर 8 तक के खंडों में वर्णित हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि पूर्वी पंजाब

और पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में हमें उस समय तक सही आंकड़े प्राप्त नहीं हो सकते, अब तक कि जनगणना न की जाये। इसमें बहुत समय लगेगा। यदि सन् 1952 अथवा सन् 1951 में निर्वाचन किये गये तो स्थिति का निराकरण हो सकता है अन्यथा इन प्रावधानों को प्रयोग में लाने के पूर्व जनगणना करनी होगी, वरना "अन्तिम पूर्ववर्त्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या" शब्दों का कोई भी अर्थ न होगा। यदि इन शब्दों को अक्षरशः सत्य माना जाये और इनमें कोई परिवर्तन न किया जाये तो इसका अर्थ यह होगा कि पूर्वी पंजाब से जो 50 लाख मुसलमान चले गये हैं, उनके लिये स्थानीय विधान-मंडल में 50 जगहें सुरक्षित रखनी होंगी, भले ही वहां इस समय मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 2 लाख ही क्यों न हो। यह वास्तविक कठिनाइयां हैं और इन्हें दूर करना आवश्यक है। मेरी यह धारणा है कि जब तक हम इन कठिनाइयों को दूर न करेंगे, हम सच्चे अर्थ में निर्वाचन न कर पायेंगे।

अनुच्छेद 292 के सम्बन्ध में मुझे केवल एक शब्द और कहना है। खंड (5) में अनुच्छेद 292 का संकेत अनावश्यक हैं क्योंकि अनुच्छेद 292 में प्रत्यक्ष निर्वाचनों, निर्वाचन-क्षेत्रों और सुरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों का वर्णन है। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रतिनिधि अव्यवहित निर्वाचनों द्वारा चुने जायेंगे। अनुच्देद 292 की ओर संकेत बिल्कुल अनावश्यक है। यदि इसे रहने भी दिया जाये तो मैं आपकी अनुमति से इसे दोहराना चाहता हूं कि इस स्थान पर अनुच्छेद 292 की ओर संकेत से इस सभा के लिये अनुच्छेद 292 को संशोधित करने में कोई प्रतिबन्ध न होगा। मैं इस सभा से यह छिपाना नहीं चाहता कि मेरी इच्छा यह है कि किसी भी सम्प्रदाय के लिये निर्वाचन-क्षेत्र सुरक्षित न रखे जायें। मैं केवल यह चाहता हूं कि अनुसूचित वर्गों के लिये प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखा जाये और यह अनुच्छेद 293 के आधार पर किया जाये। मैं जगहें सुरक्षित रखने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि यदि आप पूरे प्रश्न पर विचार करेंगे और बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों को भी ध्यान में रखेंगे तो आपको सब निर्वाचन वास्तविकता से बहुत दूर प्रतीत होंगे। हमारे सामने यह कठिनाई है कि हम यह समझ नहीं पाये हैं कि इन निर्वाचन-क्षेत्रों का स्वरूप क्या होगा। जब यह विषय सभा के सम्मुख ठोस रूप में रखा जायेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह जगहों को सुरक्षित रखने के प्रश्न को उठाना भी न चाहेगी।

श्रीमान्, इन शब्दों के साथ मैं अनुच्छेद 67 का समर्थन करता हूं।

श्री देशबन्धु गुप्त (दिल्ली) : जनाब वायस प्रेजिडेंट साहब, मैं हाउस की तवज्जह आर्टिकिल 67 के पार्ट बी. और सी. की तरफ खासतौर पर मबजूल कराना चाहता हूं। मेरे लायक दोस्त पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इस तरफ अभी-अभी हाउस की तवज्जह खींची है और बतलाया कि अगर हम पिछली मर्दुमशुमारी के आदादशुमार को अपने सामने रख कर फैसला करें और यह फैसला करें कि इसके कितने नुमायंदे होने चाहिएं तो बिलखसूस पंजाब, वेस्ट बंगाल और देहली में इसका असर बहुत गलत होगा। मैं बतलाना चाहता हूं कि जहां तक ईस्ट पंजाब का ताल्लुक है गालिबन जितनी आबादी ईस्ट पंजाब से पाकिस्तान की तरफ गई है उससे शायद कुछ ही कम इधर आई है। इसलिए ईस्ट पंजाब की आबादी गैर जरूरी तौर पर शायद नहीं बढ़ी। लेकिन जहां तक देहली का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि यह एक एडमिटेड फैक्ट है कि देहली उन शहरों में से है जिनकी आबादी रिफ्यूजीज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पिछली सैन्सस के मुताबिक देहली के सारे प्राविन्स की आबादी 9 लाख के करीब थी और इस वक्त अन्दाज किया जाता है कि देहली की आबादी 19 लाख हो गई है। इसलिए यह बहुत अनफेयर होगा अगर देहली के लिए रिप्रेजेंटेशन का मेयार पिछली सैन्सस को बनाया जाये।

इसलिए जनाब सदर, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर और दूसरे साहिबान इस बात को मलहूज रखें। जहां तक देहली का ताल्लुक है या और इस तरह के शहर हैं जिनकी आबादी कुदरती वजू की बिना पर नहीं बल्कि इस पार्टिशन ऑफ इंडिया की वजह से गैर जरूरी तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है उनके लिए मैं समझता हूं कि सीट्स का मेयार कायम करते हुए इस तरह की आबादी लिहाज रखा जायेगा। अगर क्लाज (सी) में ईक्वल पापुलेशन के बजाय ईक्वल नम्बर ऑफ वोटर्स हो जाता तो मैं समझता हूं कि किसी को शिकायत नहीं होती। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात का ख्याल रखा जाये और अडेप्टेशन क्लाज म—जैसा कि सेक्शन 313 है या इसके मातहत या किसी और तरीके पर—इस तरह का ऐश्यूरेंस आना चाहिए। वरना देहली के साथ और उन शहरों के साथ जिन्होंने कि हमारे पुरुषार्थी भाइयों को बसाया है जो कि

उधर से उजड़ कर आये हैं, बहुत बेइन्साफी होगी और उनका ड्यू रिप्रेजेन्टेशन हाउस में नहीं हो सकेगा।

***श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 67 के खंड (5) के सम्बन्ध में पं. ठाकुरदास भार्गव ने उन कठिनाइयों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है जो यथोचित रूप से निर्वाचन करते समय उपस्थित होंगी। प्रस्ताव यह है कि 5 से लेकर साढ़े सात लाख लोगों का एक प्रतिनिधि होगा और मोटी तौर पर हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में लगभग तीन लाख मतदाता होंगे। किन्तु यदि निर्वाचन यथोचित रूप से किया जायेगा और उन दुराचारों को न होने दिया जायेगा, जोकि ऐसे बड़े निर्वाचन के समय होते हैं, जिसका बहुत से मतदाताओं से सम्बन्ध रहता है, तो कोई ऐसा साधन अपनाना होगा जिससे कि मतदाता पहचाने जा सकें और झूठे ढंग से मतदान न हो सके। श्रीमान्, पिछले दिनों में जो निर्वाचन हमें करने पड़े हैं उनसे हमें यह अनुभव हुआ है कि जब बहुत से मतदाता किसी निर्वाचन में भाग लेते हैं तो निर्वाचन के अधिकारियों के मतदाताओं से परिचित न होने के कारण दुराचार की सम्भावना बढ़ जाती है। इसलिये इस प्रकार के निर्वाचनों के सम्बन्ध में लोगों को पहचानने का कोई साधन अपनाना चाहिये।

उन विभिन्न संशोधनों के सम्बन्ध में जो बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों में और सामूहिक मतदान के सम्बन्ध में उपस्थित किये गये हैं, पं. ठाकुरदास भार्गव ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रणाली को प्रयोग में लाना बहुत ही गलत होगा क्योंकि निर्वाचन-क्षेत्र बहुत बड़े होंगे और यदि कई जगहें होंगी तो उम्मीदवार की कठिनाइयों की केवल कल्पना ही की जा सकती है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था की गई तो कोई प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अविरोध निर्वाचित होने की आशा नहीं कर सकता।

यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में एक से अधिक जगहें होंगी, तो उम्मीदवारों की संख्या अधिक होगी। और उनमें से प्रत्येक, चाहे वह प्रतिष्ठित हो अथवा नहीं, चुनाव लड़ कर ही निर्वाचित होगा और यदि उस निर्वाचन-क्षेत्र में चार जगहें होगीं जो लगभग बारह से तेरह लाख तक मतदाता होंगे और इससे अधिक जगहें हुईं तो मतदाताओं की संख्या भी अधिक होगी और उम्मीदवार को भी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

[श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका]

इसलिये, श्रीमान्, बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों अथवा बहुमतदान के सम्बन्ध में जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं, उनका विरोध किया जाना चाहिये और उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का, उसके मूल रूप में, समर्थन करता हूं।

***उपाध्यक्षः** सरदार भूपेन्द्रसिंह मान! हमारे पास बहुत कम समय है। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और मैं पूर्वी पंजाब के सदस्यों को विशेष सुविधा दे रहा हूं, क्योंकि इस विषय के सम्बन्ध में उनकी भावनायें प्रबल हैं और मुझे आशा है कि यह सभा इस रियायत का कारण समझेगी। आप कृपा करके अपना भाषण कम से कम समय में समाप्त कर दीजियेगा।

सरदार भूपेन्द्रसिंह मान!

सरदार भूपेन्द्रसिंह मान (पूर्वी पंजाब : सिख): साहिबे सदर, इस आर्टिकिल पर बहस करते हुए दो चीजें ज्यादा उभर रही हैं जिनके मुताल्लिक हम बतौर अक्लियत के खासतौर पर महसूस करते हैं। आपने अपनी पिछली बैठक में तकरीबन खुले तौर पर फैसला कर दिया था कि जहां तक माइनोरिटीज का ताल्लुक है उन्हें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स उसूली तौर पर दे दिया गया था और इस चीज को मानते हुए आपने इन्हें दावत दी थी कि जो माइनोरिटीज इस चीज को छोड़ना चाहें वह खुशी के साथ इसको छोड़ दें। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस सवाल को नये सिरे से शुरू करते हुए इसमें दावत की कमी की गई है। बल्कि उसी चीज को छीना जा रहा है। मैं नहीं समझता कि अभी इतनी कौन सी जल्दी थी कि इसको फौरन बदला जाये और वह हक जो अपने हमें पिछली बैठकों में दिया था, हमसे छीना जाये। मैं इस चीज को तो समझ सकता हूं कि जब दस साल का अरसा गुजर जाये और माइनोरिटीज यह महसूस करें कि अक्सरियत ने उनका ऐतमाद पूरे तौर पर हासिल कर लिया है, तो वह खुद इस हक को छोड़ दें।

***उपाध्यक्षः** आप पृथक् प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में बोल रहे हैं और इसका विचाराधीन खण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं आपसे अनुरोध

करता हूं कि आप अपने वक्तव्य विचाराधीन खंड के विषय तक ही सीमित रखें।

यह मेरा अन्तिम निर्णय है।

सरदार भूपेन्द्रसिंह मानः साहिबे सदर, मैं चाहता हूं कि जब यह कांस्टीट्यूएंसी मुरत्तब हो तो प्लूरल कांस्टीट्यूएंसी मुरत्तब हों और जो हक आप माइनोरिटीज को देते हैं, वे तभी कायम रह सकते हैं जब कि आप हलके बनावें तो वह इस तौर पर हों कि माइनोरिटीज को अभी चूंकि पूरा ऐतमाद हासिल नहीं हो सका है इसलिये वह अपने आपको रिप्रेजेन्ट कर सकें।

दूसरी चीज यह है कि पंडित भार्गव साहब यह कोशिश कर रहे हैं कि कांस्टीट्यूएंसी इस शक्ल से हों कि जो देहाती हलके हों वह शहरी हलकों के साथ मिला दिये जायें। लेकिन अभी देहाती हलकों में तालीम का मेयार इतना कम है कि जब कभी भी शहर के मुकाबले में आवेंगे तो वह किसी हालत में जीत नहीं सकते। इसके अलावा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की पुरानी चीज है। हम जो पैदा करते हैं, वह मंडियों में जाकर बेचते हैं। अब हमारे खिलाफ पच्चीस हजार के वोट होंगे तो मैं समझता हूं कि कभी भी देहात वाले शहर वालों के और मंडियों वालों के मुकाबले अपने नुमायन्दे नहीं भेज सकेंगे। तो ऐसी हालत में क्या होगा? यह होगा कि जो पैदा करने वाले हैं और जिनमें तालिमी मेयार कम है और जिनके छोटे-छोटे दूरदराज गांव हैं वह अपने नुमायन्दे चुनाव में नहीं भेज पावेंगे और चीज यह है कि मंडियां हमेशा सेंटर ऑफ ऐक्टीविटी रहेंगी और देहात सियासी तौर पर मुल्क से कट जायेंगे। जो बीस-पच्चीस हजार वोट होंगे वह हमेशा इस तरह से चाहेंगे कि सियासी तौर पर देहाती पिछड़ जावें। तो हम पंजाब में यह महसूस करते हैं कि जब कि बुनियादी तौर पर यह इख्तिलाफ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का है और जब तक यह कायम रहता है तब तक इनका हलका अलग हो। इसलिये हम चाहते हैं कि डिलिमिटिंग कमेटी पर भार्गव साहब की तकरीर का कुछ भी असर न हो और यह बिल्कुल फर्क बरकरार रखा जाये कि जो देहाती हलके हों वह अलहदा रखे जायें और जो शहरी हलके हैं वह अलग रहें।

[सरदार भूपेन्द्रसिंह मान]

इसके बाद ईस्ट पंजाब में बहुत सी फ्लूइड पापुलेशन है। कुछ देहली में आ गई है और कुछ देहली से बाहर वापस जा रही है। फिर यह भी पता नहीं है कि कितनी पंजाब में रह गई है और कितनी बाहर चली गई है। तो मैं समझता हूं कि लाजिमी तौर पर ईस्ट पंजाब की आबादी की गिनती होनी चाहिये। बगैर ठीक गिनती के मैं समझता हूं कि कुछ गलतफहमी फैल सकती है। तो मेरी यह राय है कि गिनती के लिये फौरन बन्दोबस्त होना चाहिए और देहाती और शहरी हलके अलहदा-अलहदा होने चाहियें और हलकों की बनावट प्लूरल हो।

***सरदार हुकमसिंह** (पूर्वी पंजाब : सिख): उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह व्यवस्था की है कि इस विधान के अधीन अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय। मेरा अर्थ जगह की सुरक्षा से है। वास्तव में हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा दो प्रकार कर सकते हैं। अभी तक अल्पसंख्यकों के लिये पृथक् निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था रही है और उन्हें कुछ वजन भी दिया जाता रहा है। यह अब समाप्त हो चुके हैं क्योंकि हमने यह निर्णय किया है कि सिद्धान्त: और आधारत: यह एक गलत प्रणाली है और किसी अल्पसंख्यक को किसी प्रकार का वजन अथवा पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र प्राप्त न होने चाहिये। जैसा कि मैं कह चुका हूं उनका हित साधन दो प्रकार किया जा सकता है। एक की सिफारिश अल्पसंख्यकों की समिति ने की है और वह यह है कि जगहें सुरक्षित रखी जानी चाहियें और इसका विधान के मसौदे के अनुच्छेद 292 से लेकर 299 तक में समावेश है। मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव के इस विचार से सहमत हूं कि अच्छा यह होगा कि इन दोनों खण्डों पर एक साथ विचार किया जाये और अनुच्छेद 67 के इस भाग पर विचार-विमर्श उस समय किया जाये जब अनुच्छेद 292 उठाया जाये। सभा के सम्मुख इस समय मि. करीमुद्दीन और एक अन्य माननीय सदस्य के जो संशोधन हैं वे उन धाराओं में प्रावहित जगहों की सुरक्षा के विरोध में हैं अथवा उनके विकल्प हैं। श्रीमान्, मेरा यह मत है कि यदि पृथक् निर्वाचन-क्षेत्रों से घृणित और निन्दनीय साम्प्रदायिकता चिरस्थायी हुई है तो जगहों

की सुरक्षा से इससे कम हानि होने की आशंका नहीं है। (*वाह-वाह*) मेरे विचार से यह अल्पसंख्यकों के लिये ही अधिक हानिकर है और इससे उनके हितों की सुरक्षा नहीं होती। इसके विपरीत इससे बहुसंख्यकों का लाभ ही होगा। यदि आप तीस प्रतिशत जगहें अल्पसंख्यकों के लिये सुरक्षित रखते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से आप 70 प्रतिशत जगहें बहुसंख्यकों के लिये सुरक्षित रखते हैं। इसके अतिरिक्त आरक्षित जगहों के लिये चुनाव लड़ने की रियायत का भी कार्यरूप में दुरुपयोग किया जा सकता है। साथ ही सुरक्षा से—यद्यपि यह विषय इस समय सभा के सम्मुख उपस्थित नहीं है किन्तु चूंकि दोनों पर एक साथ विचार करना आवश्यक है, मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनें—जगहों की सुरक्षा से हानि ही होगी और इससे एक घृणित वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। जब अल्पसंख्यक यह देखेंगे कि उन्हीं के सम्प्रदाय के कुछ ऐसे सदस्य, जिन्हें वे फूटी आंख देखना नहीं चाहते, खड़े किये जा रहे हैं और उन्हें बहुसंख्यक सम्प्रदाय का समर्थन प्राप्त है तो इससे अवश्य ही पारस्परिक सम्बन्ध बिगड़ जायेंगे और हमारे उद्देश्य की किंचित्मात्र भी पूर्ति न होगी। इसके अतिरिक्त जगहों की सुरक्षा की इस व्यवस्था के अधीन बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों में से अपनी पसंद के कुछ सदस्य चुन सकेंगे किन्तु कुछ सदस्य अल्पसंख्यकों द्वारा ही चुने जायेंगे। इस प्रकार दो वर्ग हो जायेंगे और अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के वर्गों के बीच ही अधिक फूट पड़ जायेगी।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** श्रीमान्, मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। हम इस समय जगहों की सुरक्षा के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं और इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बातें प्रासंगिक हैं?

***उपाध्यक्ष:** वे इस अर्थ में प्रासंगिक हैं कि माननीय सदस्य महोदय अनुपाती प्रतिनिधित्व का समर्थन कर रहे हैं। क्या यह ठीक है?

***सरदार हुकमसिंह:** जी हां।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** किन्तु यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें ध्यानपूर्वक विचार करना होगा और इसलिये विचार-विमर्श के लिये

[श्री एल. कृष्णास्वामी भारती]

अधिक समय देना होगा। मैं इस प्रश्न के इस अंग को सामने रखना चाहता था क्योंकि यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और.....

***उपाध्यक्ष:** अपनी सामान्य नीति के अनुसार मैं सरदार हुकुमसिंह को बोलने देता हूं और विचाराधीन-प्रणाली के लाभों को दर्शाने के लिये जगहों की सुरक्षा के प्रश्न की ओर संकेत करने देता हूं।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** श्रीमान्, यह न समझा जाये कि मैं इस प्रकार के विचार-विमर्श को रोकना चाहता हूं। मैं केवल यह चाहता हूं कि.....

***उपाध्यक्ष:** क्या माननीय सदस्य महोदय अपनी जगह पर बैठ जायेंगे? हमें उदार होना चाहिये और बहुसंख्यक सम्प्रदाय के सदस्य होने के नाते हमें अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता दिखानी चाहिये। (*वाह, वाह*) उस सम्प्रदाय ने उदारता दिखाई है और उस परम्परा को भंग न करना चाहिये।

सरदार हुकुमसिंह आप आगे कहिये।

***सरदार हुकमसिंह:** मैं इस सभा को तथा उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं यद्यपि इस समय मुझे किसी उदारता की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पर और कुछ न कहूंगा।

श्रीमान्, इस सभा में कई सदस्यों ने यह तर्क उपस्थित किया है कि बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में और सामूहिक मतदान की प्रणाली बहुत खर्चीली और अव्यावहारिक सिद्ध होगी। मेरा कहना यह है कि यदि पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र घृणित हैं और जगहों की सुरक्षा आपत्तिजनक है तो किसी ऐसे साधन को अपनाना होगा जिससे कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। संशोधन में जिस साधन का सुझाव रखा गया है केवल उसी पर विचार किया जा सकता है। यदि वह बोझल और खर्चीला है जो हमें उसके दोषों को उन जनतंत्रात्मक सिद्धान्तों के अनुसार दूर करना होगा जिनका कि हम अनुसरण करते आये हैं। मेरा यह

निवेदन है कि यही एक ऐसी प्रणाली है कि जिससे हम अल्पसंख्यकों को भी संतुष्ट कर सकते हैं और अपने सिद्धान्तों पर भी अटल रह सकते हैं।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले** (मद्रास : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय.....

***उपाध्यक्ष:** मैं माननीय सदस्य महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे कम से कम समय लें। बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं और मैं अधिक से अधिक लोगों को बोलने का अवसर देना चाहता हूं।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले:** श्रीमान्, अनुच्छेद 67 का समर्थन करते हुए मैं यह कह सकता हूं कि मैं उपखंड (6) का विशेष रूप से स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें प्रौढ़ मताधिकार की व्यवस्था है। अनुसूचित जातियों की ओर से बोलते हुए मैं यह कह सकता हूं कि इस समय, जबकि हमने इस देश के लिये स्वतंत्रता प्राप्त की है, इस प्रकार के निर्वाचन की बहुत आवश्यकता है। पूना के समझौते के अनुसार अनुसूचित जातियों को दो प्रकार के चुनाव स्वीकार करने पड़े थे अर्थात् प्रारम्भिक चुनाव और सामान्य चुनाव। मैं यह जानता हूं कि इससे उम्मीदवारों को वास्तव में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा है।

श्रीमान्, इस सभा के एक सदस्य महोदय ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है कि सामूहिक मतदान की प्रणाली स्वीकार कर ली जाए। मेरी यह धारणा है कि वर्तमान परिस्थिति में सामूहिक मतदान की यह प्रणाली बहुत खतरनाक सिद्ध होगी क्योंकि सम्प्रदायों का निर्वाचकों के मुख्य समूह से सम्बन्ध-विच्छेद हो जायेगा। इसलिये मेरे विचार से सामूहिक मतदान की प्रणाली को किसी कारण भी प्रोत्साहित न करना चाहिये। मतदान की वितरणशील प्रणाली से विभिन्न सम्प्रदाय एक दूसरे से निकट सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे और अपनी स्वतंत्रता को बनाये रखने में उन्होंने जो प्रयत्न किये हैं वे सफल हो सकेंगे।

इस अनुच्छेद पर बोलते हुये एक सदस्य महोदय ने यह कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखने की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिये और साथ ही उन्होंने उदारता से यह भी कहा था कि जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है इस व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाना चाहिये। श्रीमान्, पं. भार्गव ने जो वक्तव्य दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस

[श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले]

सर्वसत्ताधारी सभा में अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखने के लिये और उनके हितों की रक्षा करने के प्रश्न पर विचार हो चुका है और हमने कुछ निर्णय किये हैं। यदि विचार यह हो कि इस विषय को फिर उठाया जाये तो इसके लिये उचित अवसर उस समय होगा जब कि हम अनुच्छेद 292 और 293 पर विचार करेंगे। चाहे जो कुछ भी किया जाये, मेरी यह धारणा है और इस सर्वसत्ताधारी सभा में अनुसूचित जातियों के प्रत्येक सदस्य की यही धारणा है, कि इस सम्प्रदाय को जो सुरक्षा प्रदान की गई है, उसमें हस्तक्षेप न किया जाना चाहिये। श्रीमान्, इस देश का दौरा करते समय आपने स्वयं देखा होगा कि हरिजन सम्प्रदाय किन अयोग्यताओं का शिकार है। अल्पसंख्यक सम्बन्धी रिपोर्ट में इन बातों पर विचार किया गया है और इस सभा में उस रिपोर्ट पर विचार करके अल्पसंख्यक सम्प्रदायों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने का निश्चय किया है। इस स्थिति में सभा का अधिक समय न लेकर मैं केवल इतना कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों को और वनजातियों को जो सुरक्षा प्रदान की गई है उसमें हस्तक्षेप न किया जाना चाहिये। जैसा कि मैं कह चुका हूं, जब हम अनुच्छेद 292 और 293 को उठायेंगे, उस समय हम उन विभिन्न प्रश्नों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श कर सकते हैं, जो अल्पसंख्यकों की रक्षा के सम्बन्ध में उठाये जायें।

***उपाध्यक्ष:** अब श्री खांडेकर सभा के सामने बोल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वे अपने भाषण को विचाराधीन विषय तक ही सीमित रखेंगे और कम से कम समय लेंगे। इस प्रश्न पर बहुसंख्यक सम्प्रदाय के धैर्य की एक सीमा है।

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रास : जनरल): मेरे मित्र कहते हैं कि उनका धैर्य असीम है।

***उपाध्यक्ष:** वह बात केवल श्री खांडेकर के लिये कही गई थी।

श्री एच.जे. खांडेकर (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): श्री सभापति महोदय, मैं अपना विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस आर्टिकल 67 के पांचवें क्लाज को जब हम पढ़ते हैं, तब वह आर्टिकल 292 और आर्टिकल 293 का भी उसमें रेफरेंस दिया गया है। आर्टिकल 292 में माइनोरिटीज

कम्युनिटीज को रिजर्वेशन देने के बारे में कहा गया है और मैं खुद शिड्यूल्ड कास्ट का होने के कारण मुझे बहुत आनन्द है कि इस हाउस ने उस आर्टिकल को पहले वक्त पास कर लिया है। इस आर्टिकल के पास करने के पहले माइनोरिटीज सब कमेटी ने भी अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित जगह देने की सिफारिश इस हाउस से की है। मैं उस अल्पसंख्यक जाति से आता हूं जिसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट एक ऐसा तबका है इस देश के अन्दर जिस तबके को हजारों वर्ष से दूसरी जातियों ने दबा कर रखा है और न तो उन्हें सामाजिक अधिकार मिले हुए हैं और न राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं।

सभापति जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि सन् 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून के मुताबिक इस समाज को नामिनेशन के जरिए प्रान्तिक धारा सभाओं में कुछ जगहें दी गई थीं। जब राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस हुई, राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस में हमारे जो प्रतिनिधि हाजिर थे उन्होंने इस समाज के लिये सुरक्षित जगह की मांग की और अपनी संख्या के अनुसार मांग की। परन्तु हमारे समाज का यह दुर्भाग्य है कि जब मैकडानल्ड साहब ने अपना एवार्ड जाहिर किया तो हम लोगों की, जिनकी तादाद इस देश के अन्दर साढ़े सात करोड़ थी, उनको 1580 जगहों में से सिर्फ 72 जगहें दी गई थीं। यानी इस जाति को उसकी संख्या के अनुसार जितनी जगहें चाहिए थीं, उससे कई गुना कम। मैकडानल्ड एवार्ड होने के बाद पूज्य बापू ने यरवदा जेल में उपवास किया और जब कि पूना पैक्ट पास हुआ। पूना पैक्ट के अनुसार उस जाति को इस देश के प्राविंशियल लेजिस्लेचर में 1580 जगहों में से 151 जगहें दी गईं, यानी दुगुनी जगहें दी गईं। इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी की ओर से महात्मा जी को धन्यवाद देता हूं। परन्तु सो भी जगहें हमारी जनसंख्या के अनुसार नहीं थीं। और जैसा कि मेरे मित्र श्री मुनिस्वामी पिल्लई ने अभी बतलाया कि हम लोगों को पूना पैक्ट के अनुसार दो चुनाव लड़ने पड़ते थे। एक तो पहला चुनाव पेनेल जो हम अपने आपस में लड़ा करते थे और बाद में हम दूसरी जातियों के साथ एक जनरल चुनाव को लड़ते थे, तब हमारे लिए डिस्ट्रिब्यूटिव सिस्टम ऑफ वोट्स नहीं था। क्यूमूलेटिव सिस्टम था और जिसका कि अमेंडमेंट यहां इस क्लाज में मेरे मित्र काजी सैयद करीमुद्दीन ने दिया है और जिसका कि नम्बर 1415 है। यह अमेंडमेंट अगर पास होता है तो अब चुनाव होगा और जिस क्षेत्र में क्यूमूलेटिव सिस्टम के जरिये से वोट दिये जायेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर दो जगहें हैं—एक रिजर्व और

[श्री एच.जे. खांडेकर]

एक जनरल—और एक वोटर को दो चिट्ठियां मिलती हैं तो क्यूमूलेटिव सिस्टम के अनुसार वह अपनी दोनों चिट्ठियां चाहे एक ही केंडिडेट की पेटी में डाल सकता है या दो पेटियों में डिस्ट्रिब्यूट कर सकता है। और ऐसे वक्त किसी भी जाति का मतदाता अपने ही जाति के केंडिडेट की पेटी में वोट डालेगा दूसरी जाति के नहीं और इस प्रकार जातिवाद का झगड़ा चालू ही रहेगा। हमें जातिवाद जल्दी से जल्दी मिटाना है। और इसलिए मैं इस अमेंटमेंट का विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि मुझे हरिजन होने के कारण और क्यूमूलेटिव सिस्टम के अनुसार हमारा चुनाव होने के कारण अनुभव है और इसके पूरे परिणाम भी मुझे याद हैं। हमारी इस असेम्बली में माइनोरिटीज सब-कमेटी और एडवाइजरी सब-कमेटी में सेपेरेट इलेक्टोरेट के बड़े भारी पुरस्कर्त्ता खास कर डॉ. अम्बेडकर साहब ने सेपेरेट इलेक्टोरेट को छोड़ कर ज्वाइंट इलेक्टोरेट की तरफ वोट दिया और जातिवाद के झगड़े को मिटाया। इस कारण मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ऐसा होते हुए भी जब यह अमेंडमेंट काजी करीमुद्दीन साहब लाये, तो उसका मतलब सीधा-सादा यह निकलता है कि अब उनको इनडाइरेक्टली सेपेरेट इलेक्टोरेट चाहिये। एक हाथ से हम सेपेरेट इलेक्टोरेट को छोड़ते हैं तो क्यूमूलेटिव सिस्टम के जरिये से हम उसको दूसरे हाथों से जारी रखते हैं। अगर यह अमेंडमेंट पास करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि एक जाति के लोग क्यूमूलेटिव सिस्टम होने के कारण दूसरी किसी भी जाति के आदमी को वोट नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि सेपेरेट इलेक्टोरेट इनडाइरेक्टली जारी रहता है और मैं इस कारण से काजी साहब के अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

इसके साथ दूसरी बात मैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब के ध्यान में लाना चाहता हूं और इस बात पर वह विचार करेंगे कि इस सेक्शन में सेंशस के बारे में लिखा हुआ है। सब-क्लाज (5) (सी) में तो अभी दो चार दिन पहले इस असेम्बली के सामने सवाल उपस्थित था और वह पास हो गया तो इस जगह पर भी वह सेंशस शब्द है। अगर इसमें लेटेस्ट सेंशस रखें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। और मैं इस चीज को क्यों कहता हूं? इसका साफ कारण यह है कि अभी चुनाव जो होगा। आर्टिकल 292 के मुताबिक, उसमें माइनोरिटीज के लोगों को रिजर्वेशन से कुछ सीट्स दी जाने वाली हैं और प्रोविंसियल एसेम्बलीज में एक लाख के ऊपर उन्हें एक जगह मिलेगी और सेंट्रल असेम्बली में दस लाख आदमियों पर एक जगह मिलेगी। मैं बड़े दु:ख के साथ सभापति जी, आपके सामने कहना

चाहता हूं कि सन् 1941 का जो सेंशस लिया गया है, उसमें हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि हरिजनों की जो तादाद उसमें दिखाई गई है वह बहुत गलत है और इसलिए जब तक कि नया सेंशस नहीं लिया जाता और हरिजनों की तादाद नये सेंशस के मुताबिक निश्चित नहीं की जाती है, तब तक हम लोगों को ठीक-ठीक जगह मिलेगी, इसका मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है।

अगर सभापति जी, मैं आपके सामने कहूं कि हाउस में हमारी संख्या के अनुसार करीबन साठ आदमी आने वाले थे। हमारी संख्या पार्टीशन के पहले छः करोड़ थी और छः करोड़ संख्या होने के कारण हमारे साठ प्रतिनिधि आने वाले थे। लेकिन मुझे इस हाउस के सामने दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एनाउन्समेंट होने पर और कांग्रेस ने इस चीज को निश्चित करने के बाद कि हरिजनों को भी उनकी संख्या के अनुसार लेना चाहिये सिर्फ 27 हरिजन सदस्य यहां आये और इसका मुझे बड़ा दुःख है। हमारी संख्या जितनी निश्चित हो जाये, चाहे हमारी संख्या दो करोड़ क्यों न हो, हम दो करोड़ के मुताबिक अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। परन्तु सेंशस अवश्य होना चाहिए और बाद में चुनाव होना चाहिए। मगर दो करोड़ हो नहीं सकते। इस जाति की संख्या आज भी हिन्दुस्तान के टुकड़े होने के बाद कम से कम छः करोड़ है। और जब छः करोड़ है, यह तो मैं उनके फिगर्स न लेते हुए कहता हूं, लेकिन अगर आप फिगर्स लें और बाद में चुनाव करें और बाद में इस जाति के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दें, एक लाख पर एक सीट दें, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस जाति की संख्या आज भी सात करोड़ से कम नहीं है और इसका मतलब यह है कि आप देखेंगे कि ज्यादा बच्चे उस जाति के पैदा होते हैं, जो गरीब हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ नहीं है, मगर बच्चे पैदा करने की ताकत हम में ज्यादा है। और मैं आपसे कहता हूं कि हम इस कौम के बच्चे आज भी सात करोड़ से कम हिन्दुस्तान में नहीं हो सकते। इसलिए सेंशस की जरूरत है, सेंशस आपको लेना चाहिए।

इन शब्दों के साथ सभापति जी, मैं अपील करूंगा डॉक्टर अम्बेडकर के सामने कि वह जिस वक्त इसका जवाब देंगे वह यह जो 'प्रिसीडिंग सेंशस' शब्द है उसके बारे में खुलासा करेंगे। जब तक सेंशस फिर से नहीं लिया जाता तब तक न रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसी के लिये मददगार होती है न चुनाव होता

[श्री एच.जे. खांडेकर]

है। यह मैं मानूंगा कि अगर सेंशस लिया जाये तो चुनाव कुछ लम्बा जा सकता है। जाना जरूरी तो नहीं है लेकिन अगर गया तो आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिये। जब कि इस देश की हर जाति के आदमी कहते हैं कि हरिजनों का उद्धार होना चाहिये, यह चीज हर आदमी के मुंह से निकलती है तो वह मुंह से ही न निकलनी चाहिए बल्कि दिल की बात होनी चाहिये। अगर इसके लिये एक साल तक यह चुनाव बढ़ गया तो हमें इसकी परवाह न करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस आर्टिकिल का समर्थन करता हूं और काजी करीमुद्दीन साहब का जो अमेंडमेंट है, उसका तीव्र विरोध करता हूं।

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसा : जनरल): श्रीमान्, मैं इस अनुच्छेद का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और ऐसा करते हुए मैं इस सभा के सम्मुख कुछ बातें रखना आवश्यक समझता हूं। श्रीमान्, मेरे विचार से अनुच्छेद 67 और 149 पर एक साथ विचार-विमर्श होना चाहिए था। क्योंकि यह ऐक दूसरे से सम्बन्धित हैं और एक दूसरे के समवर्त्ती तथा अनुवर्त्ती अनुच्छेद हैं। इस दशा में मेरी यह धारणा है कि यदि इन दोनों अनुच्छेदों पर एक साथ विचार-विमर्श होता तो इस सभा के माननीय सदस्यों के लिए बहुत सुविधा हो जाती। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि आज वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं, वह कितना वृहत् है। हम सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धांत अर्थात् प्रौढ़-मताधिकार के सिद्धान्त को स्वीकार करने जा रहे हैं, जिसके अनुसार इस देश का प्रत्येक प्रौढ़, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, चाहे वह मैदान का हो अथवा पहाड़ की वनजातियों का अथवा अनुसूचित जातियों का, एक मतदाता हो जायेगा और इस प्रकार उसे देश के प्रशासन के उत्तरदायित्व का भार उठाना होगा और हर प्रकार वह एक समान अधिकार-प्राप्त नागरिक हो जायेगा। इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त को स्वीकार करने पर यह आवश्यक है कि हम उसके वृहत् आकार का अनुभव करें। इससे मैं यह अनुभव करता हूं कि आगे चलकर किसी हालत में 20 करोड़ से कम निर्वाचक न होंगे। इससे अधिक हो सकते हैं। मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र पं. ठाकुरदास भार्गव ने संख्या कम बताई क्योंकि उन्होंने अनुमान किया है कि मतदाताओं की संख्या पन्द्रह और सोलह करोड़ के बीच होगी। हमारी जनसंख्या 32 करोड़ है और यदि 21 वर्ष से कम आयु के लोगों की गणना न की जाये तो मेरा यह विश्वास है कि मतदाताओं की

संख्या 20 करोड़ से अधिक होगी। 15 प्रतिशत स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। ऐसी स्थिति में मैं यह नि:संकोच कह सकता हूं कि ऐसे लोग जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है, 25 प्रतिशत माने जा सकते हैं। इस दशा में कुल जनसंख्या की तीन चौथाई संख्या मतदाताओं की मानी जा सकती है। इसलिए आज हम जिस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं उससे उत्पन्न होने वाले वृहत् प्रश्न को हल करने के लिए देश को तथा सरकार को तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार कम से कम 20 करोड़ मतदाता होंगे। इसका अर्थ यह होगा कि लगभग 2 लाख निर्वाचन-स्थल स्थापित करने होंगे और 4 लाख निर्वाचन-अधिकारियों को रखना होगा। मैं कह नहीं सकता कि निर्वाचनों के संचालन में तथा उन्हें समाप्त करने में कितना समय लगेगा। इसलिए मैं सरकार से और आपसे, कम से कम जहां तक हमारा सम्बन्ध है मुख्यत: इस कार्य के वाहक होने के नाते, अनुरोध करता हूं कि इस वृहत् कार्य को सम्पन्न करने के लिए तुरन्त व्यवस्था की जाए। आप ही के द्वारा हम एक निर्वाचन-आयोग स्थापित करके एक विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं किन्तु केवल इतने से इस कार्य की वृहत्ता किसी प्रकार कम नहीं हो जाती।

इस वृहत् प्रश्न के सम्बन्ध में इतना कहने के उपरान्त मैं दो ऐसे क्षेत्रों की चर्चा करना चाहता हूं जो पर्याप्त चिन्ता के विषय हो सकते हैं। यह क्षेत्र उत्तर के राज्य तथा प्रान्त और पश्चिमी बंगाल तथा आसाम के प्रान्त हैं। इन दो प्रकार के क्षेत्रों में जनसंख्या में बहुत उलटफेर हुआ है। लाखों-करोड़ों लोग या तो पाकिस्तान चले गये हैं या वहां से आ गये हैं। हमने जगहों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की है और यही नहीं किया है बल्कि कुछ मामलों में, जैसे कि आदिवासियों की आबादी के मामले में, विधान में यह प्रावहित किया है कि चाहे वे पहाड़ों के रहने वाले हों अथवा मैदान के उन्हें एक ही जनसमूह समझा जाये और उसी आधार पर जगहें सुरक्षित रखी जायें। इस स्थिति में यदि जनगणना न की गई तो मेरे विचार से पूर्वी पंजाब, उत्तर में पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राज्य, सम्भवत: बम्बई और सौराष्ट्र तथा आसाम और पश्चिमी बंगाल के लोगों के प्रति बहुत अन्याय होगा। मेरे विचार से अनुच्छेद 149 को रखने पर हमें जनगणना अवश्य ही करनी होगी। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रतिनिधित्व पिछली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए। पिछली जनगणना सन् 1941 में हुई थी। इसे सभी जानते हैं कि युद्ध के

[श्री विश्वनाथ दास]

कारण तथा कागज की कमी इत्यादि के नाम पर उस समय की सरकार ने पूर्णरूप से जनगणना करना आवश्यक नहीं समझा। केवल यही नहीं हुआ, किन्तु जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई उसे अलग रख दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जनगणना केवल संकुचित रूप में ही हो सकी। तब से स्थिति में बहुत परिवर्तन हो चुका है। इसलिये उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम के प्रदेशों के प्रति न्याय करने के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्र से शीघ्र जनगणना की जाय। इस दृष्टि से इन प्रदेशों में विशेष रूप से जनगणना करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में क्या यह आवश्यक है कि मैं आपका ध्यान पाकिस्तान में जो कुछ किया गया है, उसकी ओर आकृष्ट करूं? पाकिस्तान में सिन्ध और पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल के प्रान्तों में जनगणना की गई है और उसके उपरान्त ही वहां के अधिकारियों ने विधान-परिषद् में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कुछ निर्णय किए हैं। पाकिस्तान में जो कुछ किया गया है वह हिन्दुस्तान में भी आसानी से किया जा सकता था। क्या मुझे यह कहने की आवश्यकता है कि गम्भीरतापूर्वक तथा अविलम्ब जनगणना करने के लिए अब भी समय हाथ से नहीं गया है।

जनगणना के सम्बन्ध में इतना कहकर मैं इस प्रश्न के एक अन्य अंग पर अपने विचार प्रकट करता हूं। ब्रिटिश पार्लामेंट के सुधार के तीसरे कानून को स्वीकार करने के बाद ही स्वर्गीय ग्लेडस्टन ने कामन्स सभा में यह कहा था कि अब वह समय आ गया है कि जब उन्हें अपने शिशुस्वामियों को शिक्षित करने के लिए अधिक धन प्राप्त करना चाहिए और यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। यह "शिशुस्वामी" कौन हैं? यह "शिशुस्वामी" मतदाता हैं। यह वास्तव में स्वामी हैं। आपने अपने "शिशुस्वामियों" को शिक्षित बनाने के लिए क्या किया है? इस देश में लगभग 10 प्रतिशत साक्षर हैं। स्त्रियों तथा अनुसूचित जातियों की साक्षरता के आंकड़े इससे भी कम निकलते हैं। पहाड़ों की वनजातियों के लोगों में जिन्हें आपने पूर्ण मताधिकार प्रदान किया है, साक्षरता का बिल्कुल ही अभाव है। आपने कितनी भयास्पद स्थिति में अपने को डाल दिया है? आप उनसे मत देने के लिए कह रहे हैं परन्तु वे हैं कौन? वे बहुत ही उत्तेजनापूर्ण लोग हैं जिन्हें अभी तक प्रचार का अथवा निर्वाचनों में मतदान का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि जो कठिनाइयां मैंने बताई हैं वे जहां तक हो सके कम की जा सकें। आपने

उन्हें कम करने के लिये किया ही क्या है? आपने कुछ नहीं किया है। पिछले वर्ष विधान-परिषद् का कार्यवाही के मध्य में दुर्भाग्य से बोलकर मैंने यह जानने का प्रयास किया था कि सरकार ने निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा निश्चित करने के लिये कोई संगठन स्थापित किया है अथवा नहीं। उत्तर यह दिया गया था कि वह स्थापित किया जा चुका है। आपने इस समय तक किस प्रकार की सीमा निश्चित की है? प्रान्तीय सरकारों से सीमा निश्चित करने के लिए कहा जाता है और वे अपने कर्मचारियों से यह काम करने के लिये कहते हैं और कोई कर्मचारी निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा निश्चित करने के लिये बैठ जाता है। क्या इस विधान के अधीन आप इस प्रकार सीमा निश्चित करने जा रहे हैं? मैं सरकार को चेतावनी देता हूं और, श्रीमान्, आपके द्वारा विधान-परिषद् के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि स्थिति में अवश्य ही परिवर्तन करना चाहिए। निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में तुरन्त ही कार्यवाही करना आवश्यक है और यह काम तुरन्त ही हाथ में लिया जाना चाहिये।

श्रीमान्, इन शब्दों के साथ तथा जो चेतावनी मैंने दी है उसके साथ मैं इस अनुच्छेद का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

मौलाना हसरत मोहानी (संयुक्तप्रान्त : मुस्लिम): जनाबआली, मुझे इस सेक्शन 67 के मुतल्लिक कुछ बोलना नहीं था। लेकिन एक चीज इसके दर्मियान में आ गई है जिसकी वजह से मेरे लिए लाजमी हो गया है कि कम-अज-कम मैं इसके मुतल्लिक कुछ कहूं।

***श्री एस. नागप्पा:** उपाध्यक्ष महोदय, मौलाना अंग्रेजी में बोल सकते हैं।

***उपाध्यक्ष:** क्या माननीय सदस्य अंग्रेजी में नहीं बोल सकते?

***मौलाना हसरत मोहानी:** इसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ता है।

***उपाध्यक्ष:** कोई हर्ज नहीं। हमारी दिलचस्पी तो आपके विचारों में है न कि आपकी भाषा में।

मौलाना हसरत मोहानी: वह चीज क्या है, जो इसमें कही गई है, जिसने मजबूर किया है कि मैं अपने ख्यालात को जाहिर कर दूं। वह यह है। इसका सेक्शन 5 (ए) है। उसमें लिखा हुआ है कि:

[मौलाना हसरत मोहानी]

"इस दस्तूर की दफा 292 और 293 के कायदों का लिहाज रखते हुये एवाने आम में रियासती इलाकों की आबादी के नुमायन्दे होंगे जिनकी तादाद पांच सौ से ज्यादा होगी और इनकी राय देने वाले वराह रास्त इन्तखाब करेंगे।" और 293 यह एक ऐसी चीज है कि इसके मानी यह हैं कि माइनोरिटीज के लिये सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं। इसलिए मैं इस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का सख्त मुखालिफ हूं और यह किसी हालत में भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसलिये जब हमने ज्वाइंट इलेक्टोरेट और ऐडल्ट फ्रेंचाइज कर दिया है तो, मैं कहता हूं कि अब रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है और यह दोनों साथ नहीं चल सकते। जब आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट करेंगे तो इसके मानी यह हैं कि शख्स को हक है कि जितनी सीट्स हों, हर एक सीट से खड़ा हो जायेगा और कंटेस्ट कर सकेगा। अगर आप महदूद करते हैं, कम्युनल बेसिस पर, जैसा कि आपने कहा है कि मुसलमान माइनोरिटीज में हैं, इसलिए उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट के लिए तो मैं जानता नहीं, लेकिन अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। मुसलमानों को आप माइनोरिटीज क्यों कहते हैं? मुसलमान माइनोरिटीज में उस वक्त हो सकते हैं जिस वक्त वह कम्युनल बाडी के तौर पर काम करें। जिस वक्त मुसलमान मुस्लिम लीग में शरीक थे, उस वक्त वह माइनोरिटी में थे। लेकिन अगर आप यह समझें कि if they elect to form a political party without any restriction leaving it open to any community (अगर वे कोई सियासी पार्टी कायम करना चाहें और उसमें दाखिल होने के लिये किसी भी कौम के लिये कोई पाबन्दी न रखें) आप इस बात को याद रखें कि जिस वक्त पोलिटिकल पार्टियां बनेंगी तो मुसलमान कोइलेशन करके लड़ेंगे, तो उस वक्त मैं कहता हूं कि मुसलमान माइनोरिटी में नहीं होंगे। मुसलमानों के लिए यह कहना कि वह माइनोरिटी में हैं, उनकी सख्त तौहीन करना है। मैं इसको एक मिनट के लिए भी बरदाश्त नहीं कर सकता।

मुझसे कई मेम्बरों से बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि हम यह मंसलमानों को जनरासिटी के तौर पर दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपसे कौन कहता है कि आप यह जनरासिटी कीजिये। Muslims will become part

of the majority party and they will become majority. (मुसलमान अक्सरियत वाली पार्टी का हिस्सा हो जायेंगे और वे अवसरियत ही बन जायेंगे।) हम आपसे जनरासिटी या कन्सेशन नहीं चाहते और न कोई मुसलमान चाहता है।

Concession to whom? We refuse to accept any concession (रिआयत किसके लिये? हम किसी तरह की रिआयत मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हैं।) अगर मेजोरिटी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को मंजूर किया तो इसका यह दावा गलत हो जायेगा कि हम सिकूलर स्टेट बनाना चाहते हैं। हमने कम्यूनीलिज्म को खत्म कर दिया। मैं कहता हूं कि आपने कम्यूनीलिज्म को नहीं खत्म किया। इसका सुबूत यह है कि मुसलमान 14 फीसदी हैं और हिन्दू 86 फीसदी हैं। आपके दिमाग में अभी तक यही खिनास मौजूद है कि मुसलमान 14 फीसदी है, उनका रिजर्वेशन कर दिया जाये।

मैं समझता हूं कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का सवाल मुसलमानों के लिये यह सिर्फ उन नेशनलिस्ट मुसलमानों का उठाया हुआ है जो कांग्रेस और आपके गुलाम थे। आप यह सीट्स उन्हीं के लिये रिजर्व करना चाहते हैं और यह सीट्स चौदह या पन्द्रह फीसदी उन्हीं के लिए रिजर्व कर दी जायेंगी जो उनको सबसे पहले मिल जायेंगी। I take the responsibility we will isolate the nationalists. (मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि हम नेशनलिस्टों से दस्तबरदार होते हैं।)

मुसलमान कोइलेशन करेंगे और आपके ख्याल को बातिल कर देंगे और उस वक्त, यह मेरा दावा है, कि मुसलमान माइनोरिटी में नहीं रहेंगे।

ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिरः सभापति जी, मेरा आज बोलने का इरादा नहीं था। मगर एक जरूरी सवाल जेर बहस है जिस पर मैं अपनी राय जरूर देना चाहता हूं। इसलिए मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आर्टिकल 67 से मुतल्लिक इस वक्त दो बातें जेर बहस आई हैं। एक मर्दुमशुमारी का सवाल और दूसरा कान्स्टीट्यूएंसीज का सवाल। इस आर्टिकल के क्लाज (5) में 292 आर्टिकल का जिक्र आया है जो माइनोरिटीज के क्वेश्चन के साथ डील करता है। इसलिये रिजर्वेशन का या माइनोरिटीज का

[ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर]

जिक्र यहां रिलेवेंट हो गया है। मैं तो समझता हूं कि इस कान्स्टीट्यूशन से माइनोरिटीज का चैप्टर ही उड़ा दिया जाये। इसके बगैर देश का कल्याण होने वाला नहीं है। बाकी रह जाता है रिजर्वेशन का सवाल। इस सवाल पर जितना भी गौर किया जाये, इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि पोपुलेशन बेसिस पर रिजर्वेशन से माइनोरिटीज को कोई फायदा नहीं है और खास कर मैं समझता हूं कि सिक्खों को तो रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं है। फिजा ऐसी बन रही है कि मुझे डर है कि कहीं यह बात आखिर सिक्खों पर न आ जाय कि वह रिजर्वेशन को ज्यादा चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त कई किस्म की बातें हो रही हैं जो मसलहत की बातें हैं और इसी तरह दूसरी तरह की, जो अक्सर ऐसे मौकों पर जब कि इन्टरिम पीरियड होता है, होती हैं। मैं इन बातों में ज्यादा नहीं जाता। मसलहत के तौर पर हमारे रहनुमाओं के सामने कई बातें होंगी। इसलिए भी मैं इन बातों में ज्यादा नहीं जाता। लेकिन मैं यह बात स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि अगर हम कान्स्टीट्यूशन में रिजर्वेशन रह गया तो इसका बायस सिक्ख नहीं होंगे। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि इस किस्म की रिजर्वेशन से सिक्खों को बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। उनको रिजर्वेशन में बन्द कर देना उनकी तमाम उन्नति को रोक देने के बराबर है। हां, मुझे हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट के मुतल्लिक जरूर ख्याल आता है।

***उपाध्यक्षः** मैं यह चाहता हूं कि आप विचाराधीन अनुच्छेद पर ही बोलें।

ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिरः लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट का जहर इस कान्स्टीट्यूशन से निकाला जा रहा है उसी तरह से कोई भी किसी किस्म का जहर इस कान्स्टीट्यूशन में ऐसा नहीं रहना चाहिये जिससे कम्युनिलिज्म फिर किसी न किसी शक्ल में बढ़ जाये। इसके लिए हैल्दी कौंवेशन्स बनाई जा सकती हैं। नोमीनेशन्स के जरिये ऐसे मुनासिब इन्तजाम किये जा सकते हैं जिनसे किसी को कोई ऐतराज न हो।

दूसरी बात कान्स्टीट्यूएंसीज के मुतल्लिक कही गई है। पंडित ठाकुरदास जी एक अमेंडमेंट लाये थे। मगर वह पेश नहीं की गई और उस पर उन्होंने जोर भी नहीं दिया। मगर मैं समझता हूं कि यह मामला बिल्कुल अलहदा है। रूरल और अर्बन हलके मेरी राय में अलहदा-अलहदा ही रहने चाहिएं। इनको मिला देने का अभी वक्त नहीं है। देहात वाले लोगों को अभी तालीम देने की जरूरत है। अभी तो वह बहुत पिछड़े हुये हैं और शहर वाले एडवांस्ड हैं। एक छत के ऊपर खड़ा हो और एक फर्श पर हो तो उन दोनों का आपस में मेल नहीं हो सकता। यानी तांगा और मोटर एक साथ नहीं चलाये जा सकते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो जमीन पर है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर लाने की कोशिश की जाये और जो छत पर है वह ऐसी जहनियत बनाये कि अपने नीचे के भाई से मिले। तो जब ऐसी सूरत पैदा हो जाये, तब यह चीज आ सकती है। मेरा यह हरगिज मतलब नहीं है कि देहात और शहर का जो फर्क है, उसको कायम रखा जाये और मैं इस बात पर ज्यादा जोर भी नहीं देता कि देहात वाले पिछड़े हुये हैं। हो सकता है कि बाज हालतों में देहात में ज्यादा जागृति हो। मगर यह बात जरूर है कि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं हैं। वह ऐसी जगह पड़े हैं कि हमारी जो यह सरकार है, वही इनका इन्तजाम कर सकती है। अभी तो देहात में पहुंचना ही मुश्किल है। इसलिए मैं समझता हूं कि देहात को कान्स्टीट्यूएंसीज अलहदा ही होनी चाहियें। दूसरी सूरत में देहात वालों को नुकसान होगा। इन अलफाज के साथ मैं इस आर्टिकल का समर्थन करता हूं।

***प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने जो अनुच्छेद स्वीकार किये हैं उनमें से सम्भवत: अनुच्छेद 13 और 25 को छोड़ कर, जिनमें मूल स्वतंत्रताओं को प्रत्याभूति दी गई है, मेरे विचार से यह अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अधीन हम भारत के प्रत्येक प्रौढ़ नागरिक को मताधिकार देने जा रहे हैं और मेरे विचार से लोग इसका अनुभव आगे चल कर करेंगे कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है। अभी तक निर्वाचन संकुचित मताधिकार के आधार पर होते आये हैं। अब यदि नई जनगणना में भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ निकली तो इस देश के निर्वाचकों की संख्या 20 करोड़ होगी। अमेरिका जैसे देश में भी मतदाताओं की संख्या केवल 5 या 6 करोड़ है। किन्तु इस देश में प्रतिनिधियों के निर्वाचन में 20 करोड़

[प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना]

मतदाता भाग लेंगे। मेरे विचार से सभी प्रौढ़ लोगों को, जिन खण्डों द्वारा मताधिकार, की प्रत्याभूति दी जा रही है, वे विधान के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके कारण हम बहुत बड़ी आशायें करने लगे हैं और आज हम उस आदर्श का महत्व समझ रहे हैं जिसके लिये हम पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते आये हैं। मेरे विचार से खण्ड (6) में जिसके अनुसार यह प्रत्याभूति दी गई है, 'अपराध' शब्द का भी इस रूप में उल्लेख है कि वह किसी व्यक्ति को मतदाता होने के लिये अयोग्य ठहराने के लिये एक कारण होगा। मेरी यह धारणा है कि ऐसे लोगों को, जिन्होंने जेल से छूटने पर अपने चरित्र का सुधार कर लिया हो मतदाता होने के अयोग्य न ठहराना चाहिए और इसलिये मेरे विचार से 'अपराध' शब्द का उसमें समावेश न होना चाहिए था। आवास, मनोविक्षेप आदि के सम्बन्ध में जो अन्य प्रतिबन्ध रखे गये हैं उन पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमान्, इसके अतिरिक्त इस अनुच्छेद में दो सदनों की अर्थात् राज्य-परिषद् और लोक-सभा की व्यवस्था है। श्रीमान् मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मैं केवल एक ही सदन के पक्ष में हूं और दो सदनों के पक्ष में नहीं हूं। इस अनुच्छेद में दो सदन प्रावहित हैं और सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि उच्च सदन में बारह मनोनीत सदस्य होंगे। पिछले ही दिन हमने यह स्वीकार किया है कि वे सदस्य भी, जो केवल मनोनीत हुये हों और जिन्हें लोगों ने कभी भी निर्वाचित न किया है, मंत्री भी हो सकते हैं। मेरे विचार से यह विधान का सबसे अधिक जनतंत्र विरोधी अंग है। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, कला और विज्ञान का विशेषज्ञ रहा हो अवश्य ही....

***उपाध्यक्षः** क्या मैं माननीय सदस्य महोदय से कह सकता हूं कि वे वाणिज्य की ओर संकेत न करें क्योंकि उसके संबंध में जो खण्ड हैं उन्हें हम स्वीकार कर चुके हैं। इस समय खंड (5) के अन्त तक के विषयों पर विचार-विमर्श हो रहा है। सभा ने यही निर्णय किया था।

***प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेनाः** यदि स्थिति यह है तो मैं पूर्व खण्डों की ओर संकेत न करूंगा, यद्यपि मेरा विचार यह है कि हम पूरे अनुच्छेद पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, इस अनुच्छेद में ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाबन्दी के सम्बन्ध में भी प्रावधान है, जिनकी जनसंख्या पांच लाख से लेकर साढ़े सात लाख तक है। मेरे विचार से आगे की संख्या अनावश्यक है। कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि इन दो संख्याओं के बीच की संख्या ठीक-ठीक कैसे निश्चित की जायेगी। परन्तु मेरे विचार से औसत संख्या वही होगी जो प्रत्येक प्रान्त के लिये जगहें निश्चित करने के लिये उपयुक्त समझी जायेगी और वह लगभग 6,25,000 होगी। मेरा अपना यह विचार है कि वर्तमान रूप में इस खंड से बहुत कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी।

मेरे विचार से 13 लाख और 20 लाख जनसंख्या वाले बहुत बड़े बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होंगे और गरीब उम्मीदवार तो इस स्थिति में न होंगे कि वे ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकें। यदि हम अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें बड़े बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र स्थापित करने ही होंगे। इस दशा में केवल धनी लोग ही निर्वाचित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त जगहें सुरक्षित रखने से साम्प्रदायिक भावनायें प्रबल हो जायेंगी। इसलिये मेरा यह विचार है कि हमें जगहें सुरक्षित न रखनी चाहियें। वास्तव में जब मेरे माननीय मित्र मौलाना हसरत मोहानी और ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर ने यह कहा कि उन्हें जगहों की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे विचार से इस विधान द्वारा जगहें सुरक्षित रखने की जो व्यवस्था की गई है उसे बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिये। हमें एक पूर्णतया ऐहिक राज्य की स्थापना करनी चाहिये जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भारत का एक स्वतंत्र नागरिक होगा और उसे निर्वाचक होने की सुविधा प्राप्त होगी, चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय का क्यों न हो। मेरा यह विश्वास है कि कुछ ही वर्षों में साम्प्रदायिक उत्तेजना का अन्त हो जायेगा और जगहें सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे विचार से वह समय आ ही गया है। वास्तव में जब निर्वाचन होंगे, उस समय विशेष प्रकार से जगहें सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि हम अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखने का निश्चय करें तो डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन उपस्थित नहीं किया था उसे उपस्थित किया जाना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़े निर्वाचन क्षेत्र हो जायेंगे। यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में एक सामान्य जगह, एक हरिजनों की जगह और एक मुसलमानों की जगह सुरक्षित रहेगी तो प्रत्येक

[प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना]

उम्मीदवार को लगभग 11 लाख मतदाताओं में प्रचार करना होगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने सीमित साधनों द्वारा 11 लाख मतदाताओं में प्रचार नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त हमें असंख्य निर्वाचन-स्थल स्थापित करने होंगे। मैं कह नहीं सकता कि कितने निर्वाचन-स्थलों की आवश्यकता होगी। मेरे विचार से इस कार्य को सम्पन्न करना असम्भव हो जायेगा और इसलिये व्यवहार दृष्टि से भी, मेरे विचार से, जगहें सुरक्षित न रखी जानी चाहियें। इसके अतिरिक्त यदि बहुत बड़े बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र स्थापित किये गये तो यह भी सम्भव है कि कुछ लोगों को यथोचित अवसर भी न मिलेगा। उनका जिस क्षेत्र में प्रभाव होगा वह विच्छिन्न हो जायेगा अथवा वह क्षेत्र किसी अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लिये सुरक्षित रख दिया जायेगा।

इसलिये यही सम्भव है और व्यावहारिक भी है कि जगहें सुरक्षित न रखी जायें। मुझे विश्वास है कि अल्पसंख्यकों का भय तुरन्त ही दूर हो जायेगा और वे लोग भी जो इस समय जगहें सुरक्षित रखने के पक्ष में है यह कहने लगेंगे कि वे जगहों की सुरक्षा नहीं चाहते। यदि जगहें सुरक्षित न रखी गईं तो हमें इसकी चिन्ता होगी कि अपनी जनसंख्या के अनुसार अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के जितने सदस्य निर्वाचित होते उससे अधिक संख्या में वे निर्वाचित हों।

श्रीमान्, प्रस्ताव यह है कि खंड (5) के उपखंड (ख) का परादिक निकाल दिया जाये। यह भी उचित नहीं है। अनुच्छेद 67 के खंड (1) के अधीन राज्य-परिषद् में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या 40 प्रतिशत से अधिक न होगी। अवर सदन में इस अनुपात को समाप्त करने का प्रस्ताव है। यदि राज्य बहुत कुछ अपने वर्तमान रूप ही में बने रहे और केवल रक्षा, यातायात, इत्यादि के सम्बन्ध में संघ में सम्मिलित रहे, तो परादिक को निकालना सम्भव न होगा। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर जितने प्रतिनिधि होते उससे कहीं अधिक प्रतिनिधि होंगे। मेरे विचार से मूल प्रस्ताव अधिक उपयुक्त है। राज्यों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में ही जगहें प्राप्त होनी चाहियें। यदि राज्य प्रान्तों के स्तर पर आ जायें और इस विभेद का निराकरण कर दिया जाये, तब इस परादिक को निकालने में कोई आपत्ति न होगी।

श्रीमान्, मैंने खंड (7) को निकाल देने के सम्बन्ध में एक संशोधन की सूचना दी थी। मेरा उद्देश्य यह था कि संसद् को यह शक्ति प्राप्त होनी चाहिये कि वह लोक सभा में राज्यों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के

सम्बन्ध में कानून बना सके। यह विधान का विषय है न कि संसद् का। संसद् हमेशा पदारूढ़ दल की इच्छानुसार कानून बना सकती है। इस प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में संसद् को कानून बनाने का अधिकार न होना चाहिए। मेरे विचार से खंड (7) निकाल देना चाहिए, क्योंकि उससे संसद् को लोक सभा में अतिरिक्त जगहें स्थापित करने की शक्ति मिल जाती है।

श्रीमान्, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हम बहुत से संशोधनों पर विचार कर चुके हैं और मेरे विचार से सभा का निर्णय शीघ्र ही ज्ञात हो जायेगा। सभा केवल उन्हीं संशोधनों को स्वीकार करेगी जिन्हें कि डॉ. अम्बेडकर स्वीकार करेंगे। यद्यपि इस अनुच्छेद का रूप वैसा नहीं है जैसा कि मैं चाहता था किन्तु फिर भी, मेरे विचार से, यह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और यह स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 67 के खंड (5) से लेकर (8) तक के सम्बन्ध में जो कुछ अधिक महत्वपूर्ण तथा सारपूर्ण संशोधन उपस्थित किये गये हैं उन्हीं के बारे में मैं बोलूंगा।

श्रीमान्, मैं इसके लिये कृतज्ञ हूं तथा मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के कुछ सदस्य, विशेषतया मेरे माननीय मित्र मि. करीमुद्दीन और मि. महबूबअली बेग, अपने सम्प्रदायों के लिये जगहें सुरक्षित रखने के विरोध में रहे हैं। उसके स्थान पर उन्होंने निर्वाचन की दो प्रणालियों का सुझाव रखा है। एक प्रणाली एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की है और दूसरी सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की है।

***श्री महबूबअली बेग साहब:** क्या मैं अपने मित्र की गलती ठीक कर सकता हूं। मैंने जगहों को सुरक्षित रखने के बारे में कुछ भी नहीं कहा।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** अच्छी बात है, यह गलती थी। जहां तक मेरे मित्र मि. करीमुद्दीन का सम्बन्ध है वे किसी प्रकार जगहों को सुरक्षित रखना नहीं चाहते हैं। उसके स्थान में वे चाहते हैं कि निर्वाचन सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार हो। मि. महबूबअली बेग प्रत्यक्षत: दोनों हाथ लड्डू चाहते हैं। मैं उनकी बातों के सम्बन्ध में बाद में बोलूंगा।

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

अनुच्छेद 292 और 293 में जो सुरक्षा प्रावहित है, अधिकांश लोग उसके विरोध में हैं। मैं यह भी देखता हूं कि अनुसूचित जातियों को छोड़ कर अन्य लोगों के सम्बन्ध में जो प्रावधान है, उसके बारे में ऐसे सदस्यों का, जो अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के हैं, यह मत है कि जगहें इस प्रकार सुरक्षित नहीं रखी जानी चाहियें। नि:सन्देह यह विषय स्थगित किया जायेगा और इस पर विस्तृत रूप से उस समय विचार-विमर्श होगा जब कि हम 292 और 293 अनुच्छेदों को उठायेंगे। अल्पसंख्यकों के हितों को ही दृष्टि में रखकर मैं यह अनुरोध करता हूं कि यदि वे जगहों की सुरक्षा पर जोर देंगे तो यह उनके लिये बहुत उपयोगी सिद्ध न होगा क्योंकि...

***उपाध्यक्ष:** क्या आप अनुच्छेद 292 पर बोल रहे हैं?

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** जी नहीं, मैं प्रस्तावित विकल्प की ओर संकेत कर रहा हूं।

***श्री जसपतराय कपूर** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): इस खंड के सम्बन्ध में अनुच्छेद 292 की ओर संकेत किया ही क्यों जाए?

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** यह उस संशोधन का विषय है, जो मेरे माननीय मित्र मि. करीमुद्दीन ने उपस्थित किया है। वे यह चाहते थे कि अनुच्छेद 292 और 293 का प्रसंग न रखा जाये और उसके सामने निर्वाचन-प्रणाली अर्थात् सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ जोड़ दिया जाए। इसलिए यदि मैंने जगहों को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में, जो कि अनुच्छेद 292 और 293 का विषय है, कुछ कहा है तो मेरा आदरपूर्वक यह निवेदन है कि मैंने जो कुछ कहा है वह अप्रासंगिक नहीं है। मि. करीमुद्दीन के संशोधन का उद्देश्य यह है कि अनुच्छेद 292 और 293 में जगहों को सुरक्षित रखने का जो उल्लेख है वह निकाल दिया जाये और उसके स्थान में सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली रख दी जाए, क्योंकि उनकी यह धारणा है कि इससे अल्पसंख्यकों का अधिक हित-साधन होगा। दो प्रकार की निर्वाचन-प्रणालियों का सुझाव रखा गया है। मैं आदरपूर्वक प्रस्तावक महोदय को यह बताना चाहता हूं कि एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती

प्रतिनिधित्व की प्रणाली बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। निर्वाचन-क्षेत्र बहुत बड़े होंगे और प्रत्येक में 5 लाख से लेकर साढ़े सात लाख तक लोग होंगे। इसके अतिरिक्त हमारा देश उन्नत नहीं है और बहुत से लोग निरक्षर है। हमारे देश में साक्षर लोग 14 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। एकल संक्राम्य मत द्वारा तरजीह देना सम्भव है। हम स्वयं, जब हम विधान-सभा में विभिन्न विभागों के लिये विधान-मंडल की स्थायी समितियों के लिये सदस्य चुनते हैं, तो कई बार गलती कर बैठते हैं। इसलिये निरक्षर मतदाताओं से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे यथोचित रूप से मत देंगे। अपने देश की साक्षरता की उन्नति में शैथिल्य को ध्यान में रखते हुए बहुत काल तक इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

जहां तक सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली का सम्बन्ध है, मेरा यह कहना है कि अनुसूचित जातियों के प्रारम्भिक चुनाव में इसका प्रयोग किया जा चुका है। मैं श्री बी. एन. राव द्वारा प्रकाशित कांस्टीट्यूशनल प्रिसिडेंट्स के तीसरे अंक की ओर ध्यान दिलाता हूं। पृष्ठ 161 में निर्वाचन-प्रणाली के अध्याय के सम्बन्ध में एक परिशिष्ट है, वे कहते हैं:

> "कोई दल किसी निर्वाचन में कितनी जगहें प्राप्त कर लेता है यह इस पर निर्भर है कि उसने कितने सही तौर पर प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में अपने समर्थकों की संख्या का अनुमान लगाया है और अपनी ओर से ठीक संख्या में उम्मीदवार खड़े किये हैं।"

परिशिष्ट में उदाहरण देते हुए वे यह कहते हैं कि एक बार गलत हिसाब लगाने से कांग्रेस ने दोनों जगहें किस प्रकार खो दीं जबकि उसके लिये यह सम्भव था कि वह कम से कम एक जगह प्राप्त कर लेती। यह मध्यप्रान्त की विधान सभा के निर्वाचनों के सम्बन्ध में भांडार्स साकोली निर्वाचन-क्षेत्र के सम्बन्ध में हुआ। दोनों जगहें कांग्रेस के हाथ से निकल गईं। इसके बाद कांग्रेस दल ने बम्बई नगर और उसके सीमावर्ती जिलों में बम्बई विधान-परिषद् की चार जगहों में से दो जगहों के लिये चुनाव लड़ा। यदि उसने अपने निर्वाचकों की संख्या का कम अनुमान लगाया होता अथवा अधिक अनुमान लगाया होता और उससे कम अथवा अधिक उम्मीदवार खड़े किये होते, तो एक जगह उसके हाथ से निकल जाती। इसलिये इस प्रकार का सामूहिक निर्वाचन पूर्णतया उपयुक्त न होगा।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** यह तो अनुपाती प्रतिनिधित्व नहीं हुआ।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** यह भी एक प्रकार का अनुपाती प्रतिनिधित्व है। मैं न तो एकल संक्राम्य मत-प्रणाली के पक्ष में हूं, न सामूहिक मत-प्रणाली के। एक को प्रयोग में लाना असम्भव है और दूसरी से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। उससे हम सामाजिक न्याय न कर पायेंगे। इस दृष्टि से न मि. करीमुद्दीन का संशोधन और न मि. बेग का संशोधन विचार के योग्य है। मैं उन दोनों का विरोध करता हूं। प्रोफेसर शाह ने यह सुझाव रखा था कि लोक सभा में सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध न होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि चाहे जितने भी सदस्य हों इस पर कोई रोक न होनी चाहिये। मेरी यह धारणा है कि 500 की संख्या बहुत बड़ी है। इस सभा में ही जिसमें 300 सदस्य हैं, हमें लगभग प्रत्येक दिन गणपूरण के लिये घंटी बजानी होती है। इसलिये संख्या को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ होगा? प्रतिनिधित्व प्रभावपूर्ण न हो सकेगा। सदस्यों की संख्या जितनी कम होगी उतना ही अधिक वह प्रभावपूर्ण होगा। नि:सन्देह वह बहुत कम न होनी चाहिये। 500 की संख्या ठीक ही है। इसके अतिरिक्त 500 की संख्या कोई निश्चित अथवा अखंडनीय संख्या नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 292 और 293 के अधीन एंग्लो इंडियनों के लिये उस दशा में मनोनीतकरण प्रावधान है, जबकि उनका प्रतिनिधित्व न हुआ हो। इसी प्रकार उन प्रदेशों के सम्बन्ध में, जो राज्यों के अंग नहीं हैं, संसद् को इस अनुच्छेद के खंड (7) के अधीन यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून द्वारा लोक सभा में उनके प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करे। खंड (5) के अधीन 500 प्रतिनिधि तो राज्यों के ही होंगे। 500 के अतिरिक्त कुछ ऐसे एंग्लो इंडियन सदस्य भी हो सकते हैं, जो राज्यों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दशा में 500 की संख्या कोई निश्चित संख्या नहीं है किन्तु साथ ही इसे बहुत अधिक भी न बढ़ाना चाहिए।

मेरे मित्र पं. ठाकुरदास भार्गव ने यह सुझाव उपस्थित किया है कि किसी प्रकार की योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए, यद्यपि उन्होंने यह संशोधन उपस्थित नहीं किया कि केवल साक्षर लोगों को ही मतदान का अधिकार होना चाहिए। श्रीमान्, मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि एक खंड ऐसा होना चाहिए,

जिसके अनुसार वे लोग दंडित किये जा सकें जो मत देने में आनाकानी करें। इस देश में बहुत समय तक यह होगा कि जब तक लोग निर्वाचन-स्थल पर आने के लिये बाध्य न किये जायेंगे, उनमें से बहुत से मत देंगे ही नहीं और यदि आप साक्षरता की योग्यता भी निर्धारित करते हैं, तो मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कोई भी दिलचस्पी न लेगा। आप प्रौढ़ मताधिकार प्रदान कर रहे हैं जिससे किसी एक व्यक्ति के मत का कोई प्रभाव न होगा। यदि हमारे अधिकांश लोग इस समय निरक्षर हैं तो दोष किसका है? यह आशा नहीं की जा सकती कि दो वर्ष के समय में ही प्रत्येक व्यक्ति साक्षर हो जायेगा। इसके अतिरिक्त केवल साक्षरता की ही योग्यता तो नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो साक्षर नहीं हैं, किन्तु उनका साधारण ज्ञान शिक्षित लोगों से भी अच्छा है।

***पं. ठाकुरदास भार्गवः** हस्ताक्षर करना दो महीने में ही सीखा जा सकता है।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** तो इसका प्रभाव ही क्या होगा? यह सोचना निरर्थक है कि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर करने योग्य होने से ही वह तुरन्त ही इतना साक्षर और शिक्षित हो जायेगा कि वह अपने मत का यथोचित रूप से प्रयोग कर सकेगा। मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की योग्यता अनावश्यक है। इस आशय के संशोधन को उपस्थित न करके उन्होंने बुद्धिमत्ता ही दिखाई है। इसके विपरीत आगे चलकर जब निर्वाचन बहुत खर्चीले हो जायेंगे और लोग निर्वाचन-स्थलों में नहीं आयेंगे, तो यह आवश्यक प्रतीत होगा कि अन्य विधानों के समान हमारे विधान में भी कोई ऐसा प्रावधान रखा जाना चाहिए, जिससे मतदाता निर्वाचन-स्थलों पर आने और मत देने के लिये बाध्य किये जा सकें। जहां तक निर्वाचन को शीघ्र करने का सम्बन्ध है, मेरी यह इच्छा है कि विभिन्न प्रान्तीय सरकारें योग्यता प्राप्त मतदाताओं की सूची बनाने और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाबन्दी के कार्य में अभी से लग जायें। इसी उद्देश्य से हम इन अनुच्छेदों पर विचार कर रहे हैं और हमने केवल उन अनुच्छेदों को उठाया है जो निर्वाचन के सम्बन्ध में हैं। इसके बाद सभा की अनुमति से, हम अनुच्छेद 148 पर विचार करने जा रहे हैं। इसलिये अगले वर्ष शीघ्र ही निर्वाचन करने के

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

लिये मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को इन सूचियों को बनाने और निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाबन्दी करने के लिये आदेश देगी।

मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर ने जो रस्मी संशोधन उपस्थित किये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और मि. करीमुद्दीन और मि. बेग तथा प्रोफेसर शाह ने जो भी संशोधन उपस्थित किये हैं उनका विरोध करता हूं।

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रोफेसर शाह के संशोधन संख्या 1417, 1426 और 1413 को प्रस्तावक द्वारा संशोधित रूप में तथा सूची 2 के संशोधन संख्या 42 और 43 द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार करता हूं। अन्य संशोधनों की सावधानी से परीक्षा करने पर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि केवल एक संशोधन का उत्तर देने की आवश्यकता है, वह मेरे मित्र मि. करीमुद्दीन का संशोधन संख्या 1415 है। उनके संशोधन का उद्देश्य यह है कि विभिन्न राज्यों में निर्वाचन एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होना चाहिये। मेरे विचार से इस संशोधन को स्वीकार करना सम्भव नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं इस देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुपाती प्रतिनिधित्व की सार्थकता को समझ पाया हूं, मेरे विचार से इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से मेरे मित्र मि. करीमुद्दीन इसे स्वीकार करेंगे कि अनुपाती प्रतिनिधित्व के लिये एक बड़े पैमाने में साक्षरता की आवश्यकता है। वास्तव में उसके लिये वह आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता कम से कम इतना साक्षर हो कि वह अंकों को जाने और उन्हें मतपत्र पर लिख सके। इस देश की साक्षरता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की आशा करना बिल्कुल ही निरर्थक होगा। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है। मुझे विश्वास है कि साक्षरता की दृष्टि से हम संसार में सबसे पिछड़े हुये हैं और इसलिये यहां के निरक्षर मतदाताओं पर एक ऐसी निर्वाचन-प्रणाली का भार डालना, जिसके अनुसार मतपत्रों पर लिखना आवश्यक है, बिल्कुल ही असम्भव है। केवल इसी कारण से भी मेरे विचार से अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

एक दूसरी बात, जिसकी ओर मैं इस सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, यह है कि मेरे विचार से अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली उस शासन व्यवस्था के अनुरूप नहीं है जो कि इस विधान में निर्धारित की गई है। इस

विधान में संसदात्मक संघ प्रणाली निर्धारित की गई है, जिसका हम यह अर्थ समझते हैं कि किसी सरकार के लिये कानून द्वारा निर्धारित की हुई कालावधि तक अर्थात् पांच वर्ष तक पदारूढ़ रहना आवश्यक नहीं है। वह उसी समय तक पदारूढ़ रह सकती है, जब तक उस पर सभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास हो। इसका स्पष्टत: यह अर्थ है कि जहां संसदात्मक शासन-प्रणाली प्रयोग में हो वहां की विधान-सभा में अवश्य ही एक दल ऐसा होना चाहिए, जो बहुमत में हो और सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हो। जहां तक संसदात्मक अथवा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणालियों को प्रयोग में लाने का परिणाम मैं समझ पाया हूं, वह यह है कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली का एक कुपरिणाम यह होता है कि विधान-मंडल छोटे-छोटे समूहों में विभाजित हो जाता है। मेरे विचार से सभा को यह ज्ञात होगा कि यद्यपि ब्रिटिश पार्लामेंट ने सन् 1910 में एक रायल कमीशन इसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया था कि 'एक व्यक्ति के लिए एकमत' वाले एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र की उनकी प्रणाली अच्छी है अथवा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली अच्छी है। किन्तु पार्लामेंट इस रायल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। मेरे विचार से यह एक ध्यान देने योग्य बात है। मेरे विचार से उन्हें स्वीकार न करने के लिए जो कारण बताया गया वह बहुत ही उपयुक्त कारण था। वह यह था कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अधीन कोई सरकार स्थायी रूप से पदारूढ़ न रह सकेगी, क्योंकि पार्लामेंट बहुत से छोटे-छोटे समूहों में विभाजित हो जायेगी और जब कभी कोई ऐसी बात होगी, जिससे पार्लामेंट के कुछ समूह असंतुष्ट हो जायेंगे, तो उस समय वे सरकार का समर्थन न करेंगे और उसका परिणाम यह होगा कि सरकार विनष्ट हो जायेगी। चाहे आगे की सरकार कुछ भी करे, चाहे वह लोगों को उनकी वर्तमान कठिनाइयों से मुक्त करे अथवा नहीं, मेरी यह धारणा है कि उसे यह तो अवश्य करना चाहिए कि सरकार को स्थायी रखे और कानून तथा व्यवस्था की रक्षा करे। (*वाह, वाह*) इसलिए मुझे किसी ऐसी निर्वाचन-प्रणाली को स्वीकार करने में संकोच होता है, जिससे कि सरकार की स्थिरता पर आघात होगा। इस कारण मैं इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं।

एक तीसरी बात और है जिसे, मेरे विचार से, ध्यान में रखना आवश्यक है। इस देश में बहुत वर्षों तक लोग बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में विभाजित रहे हैं। मैं इस प्रश्न पर विचार करने नहीं जा रहा हूं कि

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

लोगों का इस प्रकार बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में विभाजित रहना प्राकृतिक था अथवा यह एक कृत्रिम व्यवस्था थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो इस देश की उन्नति के विरोध में था, जानबूझ कर इसका बीज बोया। चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो, किन्तु हमारे देश में यह बहुसंख्यक समुदाय तथा अल्पसंख्यक समुदाय अस्तित्व में रहे ही। आरम्भ में जब यह विधान-परिषद् देश के भावी विधान के सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श करने के लिए समवेत् हुई थी, तो विभिन्न अल्पसंख्यक सम्प्रदायों तथा बहुसंख्यक सम्प्रदाय के बीच प्रतिनिधित्व की प्रणाली के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ था। वह समझौता परस्पर आदान-प्रदान का था। विधान-परिषद् का अधिवेशन होने के पूर्व जिन अल्पसंख्यक सम्प्रदायों को पृथक् निर्वाचन-क्षेत्रों के गढ़ में रखा हुआ था, वह उस गढ़ को त्याग देने के लिए तैयार हो गये थे। बहुसंख्यक सम्प्रदाय, जो इस पर विश्वास करता था कि किसी विशेष सम्प्रदाय के लिए किसी प्रकार से जगहें सुरक्षित न रखी जानी चाहिएं इसके लिए राजी हो गया था कि भले ही वह पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से सहमत न हो, परन्तु वह जगहें सुरक्षित रखकर पृथक् निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए सहमत हो जायेगा। यह समझौता दो बातों के सम्बन्ध में है। इसके अनुसार विभिन्न अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों की एक निश्चित संख्या रखी गई है और यह भी निश्चित किया गया है कि यह प्रतिनिधि संयुक्त निर्वाचन के आधार पर चुने जायेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि यद्यपि इस सभा को इसकी स्वतंत्रता है कि वह विधान के मसौदे के किसी भाग को दुहराये अथवा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के बीच जो कोई समझौता हुआ हो उसे दुहराये, किन्तु मेरे विचार से यह एकाएक अथवा एक प्रकार से अप्रत्याशित रूप से न किया जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यह प्रत्यक्ष रूप से किया जाय और मेरे विचार से अनुच्छेद 292 और 293 में परिवर्तन करने का उचित तरीका यह होगा कि यह परिवर्तन विभिन्न अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के इच्छानुसार ही किया जाय। यदि कोई ऐसा अल्पसंख्यक सम्प्रदाय, जिसका इस सभा में प्रतिनिधित्व हुआ है, यह कहता है कि उसे जगहों की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो सभा को इसकी स्वतंत्रता होगी कि वह उस विशेष अल्पसंख्यक सम्प्रदाय का नाम अनुच्छेद 292 के प्रावधानों से निकाल दे। यदि किसी अल्पसंख्यक सम्प्रदाय की यह धारणा हो कि वह जो कुछ चाहता था वह उसे शत प्रतिशत नहीं मिला है अर्थात् उसे पृथक् निर्वाचन-मंडल प्राप्त नहीं हुआ

है, परन्तु जगहों की सुरक्षा के रूप में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह कुछ न पाने से अच्छा है, तो मेरे विचार से यह उचित तथा न्यायपूर्ण होगा कि विधान-परिषद् ने उसे जो कुछ प्रदान किया है, वह उसके हाथों में रहने दिया जाये।

***पं. ठाकुरदास भार्गव:** विभिन्न सम्प्रदायों के बीच जगहों की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हुआ था। बहुत से सदस्यों ने पृथक् निर्वाचन-क्षेत्रों आदि के सम्बन्ध में ही कई संशोधन उपस्थित किये थे, परन्तु वे सब अस्वीकार कर दिये गये थे। इन विषयों के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हुआ था।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं केवल यह कह रहा था कि उसे बलपूर्वक न छीनना चाहिए बल्कि सम्बन्धित पक्षों की स्वीकृति से ही उसे वापस लेना चाहिए। मेरा यह प्रस्ताव है और इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली का यह अर्थ है कि अल्पसंख्यकों को समझौते द्वारा एक हाथ से जो कुछ दिया गया है, वह दूसरे हाथ से छीन लिया जा रहा है। क्योंकि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अधीन अल्पसंख्यक जो कुछ चाहते थे, वह उन्हें नहीं मिलेगा अर्थात् उन्हें प्रतिनिधियों की एक निश्चित संख्या प्राप्त न होगी। उससे अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में उनके मत का प्रभाव हो सकता है। मेरे विचार से उचित यही होगा कि इसका निर्णय अल्पसंख्यकों पर ही छोड़ दिया जाय कि वे प्रतिनिधियों की निश्चित संख्या त्याग कर केवल प्रतिनिधियों के निर्वाचन में अपने मत का प्रभाव चाहते हैं अथवा नहीं। श्रीमान्, इन कारणों से मैं मि. करीमुद्दीन के संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं संशोधनों पर एक-एक करके सभा का मत लूंगा।

***श्री एच.जे. खांडेकर:** श्रीमान्, मुझे एक सूचना प्राप्त करनी है। क्या मैं डॉक्टर अम्बेडकर से यह पूछ सकता हूं कि पिछली जनगणना का क्या होगा? पिछले दिन अनुच्छेद 35 को संशोधित करते समय उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा। क्या पिछली जनगणना के स्थान में वे "अन्तिम जनगणना" शब्द रखने के लिए तैयार हैं?

***उपाध्यक्ष:** श्री खांडेकर मंच पर आकर बोल सकते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैंने मि. नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन को उन्हीं द्वारा संशोधित रूप में तथा श्री भार्गव द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया है।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं संशोधनों पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (क) में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायें:

'Subject to the provisions of articles 292 and 293 of this Constitution' (इस विधान के अनुच्छेद 292 और 293 के अधीन)'

और अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें:

"in accordance with the system of proportional representation with multi-member constituencies by means of cumulative vote' (बहु-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों के साथ सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार)।"

संशोधन गिर गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (क) में 'not more than five hundred representatives of the people of the territories of the States directly chosen by the voters' (अव्यवहित रीति से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित राज्यों के प्रादेशिक लोक-प्रतिनिधि, लोक सभा में पांच सौ से अधिक न होंगे), शब्दों के स्थान में 'Such members as shall, in the aggregate, secure one representative for every 500,000 of the population in all the constituent parts of the Union whether States of territories directly governed by the Centre. All members of the People's House shall be elected directly by the votes of all adult citizens. The votes shall be cast in a secret ballot and voting shall be on the basis of Proportional Representation with single Transferable Vote' (लोक सभा में ऐसे सदस्य होंगे जो, सभी संघांगों में, चाहे वे राज्य हों अथवा केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र, कुल मिलाकर जनसंख्या के 500,000 लोगों के लिये एक प्रतिनिधि प्राप्त करेंगे। लोक-सभा के सभी सदस्य प्रौढ़ नागरिकों द्वारा अव्यवहित रूप से चुने जायेंगे। मतदान गूढ़-शलाका द्वारा होगा तथा एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर होगा।) शब्द रखे जायें।"

संशोधन गिर गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (क) में 'representatives of the people of the territories of the States directly chosen by the voters' (अव्यवहित रीति से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित, राज्यों के प्रादेशिक लोक-प्रतिनिधि), शब्दों के स्थान में 'members directly elected by the voters in the States' (राज्यों के मतदाताओं द्वारा अव्यवहित रीति से निर्वाचित सदस्य) शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में 'the States' (राज्यों) शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें:

'and Territories directly governed by the Centre' (तथा केन्द्र द्वारा अव्यवहित रीति से शासित क्षेत्र)"

संशोधन गिर गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में से 'divided, grouped or' (विभाजन, वर्गीकरण अथवा) शब्द निकाल दिये जायें।"

संशोधन गिर गया।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, संशोधन संख्या 1426 जिसका आशय 'of India' (भारत के) शब्द निकालना है, सभा के सामने मतदान के लिये रखा जाये।

***उपाध्यक्ष:** वह बाद को आता है। मैं संशोधनों पर उसी क्रम से मत ले रहा हूं जिस क्रम से वे उपस्थित किये गये थे।

प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में 'constituencies' (निर्वाचन-क्षेत्रों) शब्द के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

'So that each State being constituent part of the Union, or territory governed directly by the Centre is a

single constituency by itself, if its population is not less than a million.' (ताकि प्रत्येक राज्य-संघ का अथवा केन्द्र द्वारा अव्यवहित रीति से शासित-क्षेत्र का अंग होने के कारण, यदि उसकी जनसंख्या दस लाख से कम न हो तो, एक स्वतंत्र निर्वाचन-क्षेत्र हो अथवा वह किन्हीं ऐसे निकटस्थ राज्यों अथवा क्षेत्रों के वर्ग में हो जिनकी जनसंख्या मिलाकर दस लाख से कम न हो।)"

संशोधन गिर गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में 'constituencies' (कांस्टिट्यूएंसीज) शब्द के बाद फुलस्टाप रखा जाय, उसके बाद ही आने वाला 'and' (एण्ड) शब्द निकाल दिया जाये और शब्द 'the' (दी) बड़े टी से छापा जाये।"

संशोधन गिर गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में से 'of India' (भारत के) शब्द निकाल दिये जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) का परादिक निकाल दिया जाये।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 1434 के सम्बन्ध में अनुच्छेद 67 के उपखण्ड (5) में 'members to be elected at any time for' (किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यों) शब्दों के स्थान में 'representatives allotted to' (निश्चित प्रतिनिधि) शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं संशोधन संख्या 1434 को प्रस्तावक द्वारा संशोधित रूप में मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूं। क्या यह आवश्यक है कि मैं संशोधित संशोधन को पढ़ूं?

***माननीय सदस्य:** जी नहीं, श्रीमान्।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (क) में 'last preceding census' (अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में) शब्दों के स्थान में 'last preceding census of which the relevant figures have been published' (अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में, जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हों) शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 का खण्ड (7) निकाल दिया जाये।"

संशोधन गिर गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के खण्ड (7) में 'may' (मे) शब्द के स्थान में 'shall' (शैल) शब्द, 'territories' (टेरीटरीज) शब्द के स्थान में 'the territories' (दी टेरीटरीज) शब्द और 'other than States' (अन्य प्रदेशों के) शब्दों के स्थान में 'directly governed by the Centre on the same basis as in the case of States which are constituted parts of the Union' (जो केन्द्र द्वारा अव्यवहित रीति से उसी आधार पर शासित हों जिस आधार पर वे राज्य शासित होते हैं जो संघ के अंग हैं) शब्द क्रमश: रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 1450 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 67 के खण्ड (8) के बाद निम्नलिखित नया परादिक रखा जाये:

'provided that such readjustment shall not affect representation to the House of the People until the

[उपाध्यक्ष]

dissolution of the then existing House' (पर ऐसी पुनर्व्यवस्थापना का लोक सभा के प्रतिनिधित्व पर, वर्तमान सभा की समाप्ति तक, कोई प्रभाव न होगा।)"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के खण्ड (8) में 'readjusted' शब्द के बाद (हिन्दी में 'पुनर्व्यवस्थापित' शब्द के पूर्व) 'on the basis of population' (जनसंख्या के आधार पर) शब्द जोड़ दिये जायें।"

संशोधन गिर गया।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं संशोधन संख्या 1452 में दिये हुए पहले विकल्प को सभा के सामने मतदान के लिये रखूंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67 के साथ निम्नलिखित नया खण्ड (10) जोड़ दिया जाये:

'(10) The election to the House of the People shall be in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote' (लोक सभा के लिये निर्वाचन एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होगा।)"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं संशोधित खण्ड 67 पर सभा का मत लूंगा। प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 67, संशोधित रूप में, विधान का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

अनुच्छेद 67, संशोधित रूप में, विधान का अंग हो गया।

***उपाध्यक्ष:** सभा बुधवार, 5 जनवरी सन् 1949 तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके उपरान्त सभा बुधवार, 5 जनवरी सन् 1949 तक के लिये स्थगित हो गई।